आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्

दैनिक

नवप्रदेश

प्रदेश के साथ पूरा देश...

www.navpradesh.com

रायपुर, रविवार 31 जनवरी 2021, कृष्ण पक्ष तृतीया, विक्रम संवत-2077 वर्ष-09 अंक-327 पृष्ठ-08 मूल्य-3 रुपए

रायपुर, बिलासपुर, भोपाल, जबलपुर व रांची से एक साथ प्रकाशित

आज बेबाक

न खाऊंगा न खाने दूंगा वाली बात भी एक जुमला बन गई है। लोग दबाकर खा रहे हैं। खिलाने वाले उन्हें दोनों हाथों से खिला रहे हैं। विश्व में भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाली रैकिंग एजेंसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो ताजा आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक सिर्फ 2015 में भ्रष्टाचार पर थोड़ा अंकुश लगा था। उसके बाद स्थिति जस की तस हो गई। 2020 में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा बढ़ गया। कोरोना काल में भी भ्रष्टाचार का बढ़ना वाकई हैरत की बात है। लगता है कि सरकार कोई भी हो वह हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे वाली नीति को नहीं त्याग सकती।

धान पर ध्यान से रच दिया 'सुराजी गांव' में एक और कीर्तिमान

■ समर्थन मूल्य पर खरीदा गया रिकॉर्ड 92 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धाना

नवप्रदेश संवाददाता

रायपुर। प्रदेश की भूपेश सरकार ने चालू खरीफ सीजन में समर्थन मूल्य पर 92 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी कर नया कीर्तिमान बनाया है। ये आंकड़ा आया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन, जिसके अपने अलग मायने हैं। यह कीर्तिमान बापू की ग्राम स्वराज की संकल्पना पर काम कर रही प्रदेश सरकार के लिए अहम साबित होगा। इस बार प्रदेश के पिछली बार से ज्यादा किसान आर्थिक तौर पर मजबूत होंगे। जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती में भी इजाफा होगा। बता दें कि राज्य में समर्थन मूल्य पर चालू खरीफ विपणन सीजन में कुल पंजीकृत किसानों में से रिकार्ड 95.38 प्रतिशत किसानों ने धान बेचा। धान बेचने वाले किसानों की संख्या इस साल सबसे अधिक है। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार 29 जनवरी धान खरीदी का अंतिम दिन था। इस वर्ष पंजीकृत 21 लाख 52 हजार 475 किसानों में से 20 लाख 53 हजार 483 किसानों ने अपना धान बेचा है। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद ■ शेष पृष्ठ 6 पर

बापू की प्रतिमा का अनावरण

मुख्यमंत्री बघेल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर जैतू साव मठ में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। साथ में कांग्रेस नेता सत्यनारायण शर्मा भी मौजूद रहे।

अंतर की राशि किश्तों में

छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य हैं जहां समर्थन मूल्य पर भूपेश सरकार आने के बाद धान की खरीद 2500 रूपए क्विंटल हो रही है। केन्द्र सरकार द्वारा हालांकि सामान्य धान का समर्थन मूल्य 1868 रूपए घोषित कर रखा है। किसानों को केन्द्र द्वारा तय राशि बिक्री के तुरंत बाद उनके खातों में स्थानान्तरित कर दी जाती है जबकि अन्तर की शेष राशि राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किश्तों में भुगतान की जाती है।

किसानों का उपवास, केंद्र प्रस्ताव पर अटल

▶ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आंदोलनकारी किसानों ने रखा एक दिन का उपवास

▶ सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी बोले-कृषिमंत्री के किसानों को दिए प्रस्ताव पर सरकार अब भी कायम

नई दिल्ली/ए.। केंद्र के लाए तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोल कर रहे किसानों ने शनिवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुणतिथि पर गांधीगीरी दिखाते हुए एक दिन का उपवास रखा। वहीं दूसरी ओर सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किसानों को दिए गए अपने प्रस्ताव पर अब भी कायम है। इस बैठक में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंद्योपाध्याय, शिवसेना सांसद विनायक राउत और शिरोमणि अकाली दल के बलविंदर सिंह भुंडर ने किसान आंदोलन पर अपना पक्ष रखा। वहीं, जेडीयू का प्रतिनिधित्व कर रहे राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह ने कृषि कानूनों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को विभिन्न राजनीतिक ■ शेष पृष्ठ 6 पर

सिंघु, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर में इंटरनेट बंद

हरियाणा के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजधानी दिल्ली में सिंघु, गाजीपुर, टीकरी बॉर्डर और उनके आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। यहां 29 जनवरी को रात 11 बजे से 31 जनवरी को रात 11 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई है। सरकार ने सभी निजी और सरकारी टेलिकॉम कम्पनियों से इन आदेशों का पालन करने को कहा है। माना जा रहा है कि सरकार ने ये आदेश किसान आंदोलन के मद्देनजर क्षेत्र में शांति, सार्वजनिक व्यवस्था तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किए हैं।

किसानों से सरकार सिर्फ एक फोन कॉल दूर

सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को लेकर बड़ी बातें कहीं। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार किसानों से बातचीत को हमेशा तैयार है। किसानों से कृषि मंत्री की ओर से किया गया वादा आज भी कायम है। कहा, 'किसानों से सरकार सिर्फ एक फोन कॉल दूर है।'

कृषि कानूनों को वापस लेने की गुहार लगाई : चौधरी

सर्वदलीय बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार की ओर से किसान नेताओं को कहा गया कि सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आपके सामने पेश किया गया है, जब आप मन बना लेंगे और नतीजे पर पहुंच जाएंगे तो तोमर साहब एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। हमने कृषि कानून को वापस लेने की गुहार लगाई।

बस टैंकर की भिड़त में 10 की मौत, 11 घायल

मुरादाबाद/ (वार्ता)। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के कुंदरकी क्षेत्र में शनिवार को टैंकर और बस के बीच हुयी भिड़ंत में कम से कम 10 यात्रियों की मृत्यु हो गयी जबकि 11 से अधिक घायल हो गये।

खास- खबर

धमाके वाली जगह से मिला धमकी भरा खत

नई दिल्ली/ए.। राजधानी दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर हुआ धमाका भले ही छोटा था, लेकिन इसके पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका जाहिर की जा रही है। जैश उल हिंद नाम के एक अनजान से आतंकी सगंठन ने इस आईईडी धमाके की जिम्मेदारी ली है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अभी इसकी जांच कर रही हैं। वहीं धमाके वाली जगह मिले लेटर में जो बातें लिखी हैं उससे कुछ संकेत जरूर मिल रहे हैं। इस लेटर में छोटे धमाके को ट्रेलर बताया गया है। इससे पहले 2012 में भी इजरायली दूतावास के वाहन को दिल्ली में निसाना बनाया गया था उस समय जांच में ईरानी एजेंसियों की संलिप्तता की बात सामने आई थी।

बॉम्बे हाईकोर्ट की जज को स्थायी करने की सिफारिश वापस

नई दिल्ली/ ए.। पोक्सो को लेकर दो फैसलों से विवादों में आई बॉम्बे हाईकोर्ट की जज जस्टिस पुष्पा गनेदीवाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने फैसला किया है। कोलेजियम ने जस्टिस पुष्पा गनेदीवाला की परमानेंट जज के रूप में पुष्टि को होल्ड पर रखा है। कॉलेजियम ने 20 जनवरी को स्थायी न्यायाधीश के रूप में उनकी पुष्टि की सिफारिश की थी, लेकिन बच्चों के साथ यौन शोषण के दो मामलों में विवादास्पद निर्णयों के बाद, एससी कोलेजियम ने अपनी सिफारिश को वापस लेते हुए अपने फैसले को पलट दिया है।

क्यूबा में हेलिकॉप्टर दुर्घटना में पांच मृत

मॉस्को/ ए.। क्यूबा के पूर्वी क्षेत्र में एक हेलिकॉप्टर दुर्घटना में पांच लोगों की मौत हो गयी है। क्यूबा डिबेट अखबार ने रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया कि यह घटना शुक्रवार तड़के हुई जब हेलिकॉप्टर होलग्विन प्रांत से गुआतंनामो जा रहा था। हेलिकॉप्टर कथित तौर पर एक पर्वतीय क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रक्षा मंत्रालय के एक आयोग ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है।

बदमाशों ने एटीएम को विस्फोट कर उड़ाया, लूटे रूपये

सतना (वार्ता)। मध्यप्रदेश में सतना जिले के बिरसिंहपुर थाना क्षेत्र के शिव चौक के पास लगे एक बैंक के एटीएम को अज्ञात बदमाशों ने विस्फोट कर उड़ाया और उसमें रखी नगदी लूट ली है। पुलिस सूत्रों ने शनिवार को बताया कि बिरसिंहपुर के शिव चौक में लगे एक्सिस बैंक के एटीएम को शुक्रवार रात बदमाशों ने ब्लास्ट कर उड़ा दिया है।

पीएम, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने दी बापू को श्रद्धांजलि

नई दिल्ली/(वार्ता)। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि के मौके पर शनिवार को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बापू की समाधि स्थल राजघाट पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी महात्मा गांधी को

श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राजघाट पहुंचे। इससे पहले कोविंद ने ट्वीट कर कहा, 'कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि के मौके पर मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। हमें शांति, अहिंसा, सादगी, साधनों की पवित्रता और विनम्रता के उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए। आइए हम उसके सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने का संकल्प लें।

न्यूज गैलरी

दुष्कर्मी गिरफ्तार

दुर्ग। जिले के पाटन ब्लॉक में पदस्थ ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के उपअभियंता शैलेन्द्र वर्मा को दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डिप्टी इंजीनियर के खिलाफ पूर्व प्रेमिका ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाई है। जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। महिला का आरोप है कि डिप्टी इंजीनियर के साथ उसका 2002 से प्रेम.प्रसंग था। जिसके बाद शादी का प्रलोभन देकर लगातार शारीरिक शोषण करता रहा, लेकिन जब शादी करने का बात आई तो दूसरी महिला से शादी कर ली। जबकि पीड़िता ने उसके साथ रहने की इच्छा जताई थी। जिस पर उसने रहने से इनकार कर दिया। तब पीड़ित महिला ने सिटी कोतवाली थाना में दुष्कर्म का अपराध दर्ज कराई।

मौन श्रद्धांजलि

रिसाली। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को निगम अधिकारियों व कर्मचारियों ने याद किया। शहीदों को दो मिनट मौन श्रद्धांजलि देने कार्यालय परिसर में सुबह 11 बजे एकत्रित हुए। इसके बाद महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर नशामुक्ति के लिए शपथ लेते 100 अधिकारी.कर्मचारियों ने संकल्प पत्र भरा। अपर कलेक्टर व निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे के मार्ग दर्शन में नए कार्यालय भवन में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई।

विकास की राह पर चल रही छग सरकार : गुरु

नवप्रदेश संवाददाता

दुर्ग। पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार आज ग्राम ननकट्ठी में आयोजित गुहा निषाद राज सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में उपस्थितजनों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि छग की भूमि सामाजिक समरसता की भूमि है। यहाँ सभी वर्ग मिलजुलकर रहते हैं। मुख्यमंत्री बघेल की सरकार प्रदेश को आर्थिक विकास की राह पर आगे बढ़ाने के साथ ही सामाजिक समरसता बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रही है। छग महतारी की सांस्कृतिक संपदा को सहेजने के दृष्टिकोण से सरकार ने विशेष रूप से कार्य किया है। हमारे त्योहार तीजा, हरेली आदि पर अवकाश घोषित किया गया है। हरेली के मौके पर सभी लोग उत्साह से गेड़ी चढ़े। मंत्री ने कहा कि नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी योजना के माध्यम से ग्रामीण विकास की दिशा में अहम कार्य किया जा रहा है। मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था से ही शहरी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। गोधन न्याय योजना के माध्यम से पशुपालन की भी तरक्की होगी। कृषि अर्थव्यवस्था तभी विकसित होगी जब पशुपालन, मत्स्यपालन जैसे कार्य भी बराबरी के साथ होंगे। पीएचई मंत्री ने कहा कि शुद्ध पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा सबके लिए सुनिश्चित करने की दिशा में हम लोग विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं। सभी घरों में पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

श्रीराम रथ का हुआ जगह-जगह स्वागत

नवप्रदेश संवाददाता

कुम्हारी। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण धन संग्रह कार्य हेतु कुम्हारी नगर में पहली बार श्री राम रथ का निर्माण किया गया है इस रथ वार्ड नंबर 15 दुर्गा मंदिर प्रांगण में भिलाई जिला संगठन के पूर्व अध्यक्ष राजमहंत सांवलाराम डाहरे के द्वारा विधिवत पूजा पाठ किया गया। इस अवसर पर वार्ड नंबर 9 के पार्षद निश्चय वाजपेयी एवं वार्ड 15 की पार्षद रागिनी निषाद, मंडल अध्यक्ष पीएन दुबे, कुम्हारी थाना प्रभारी आशीष यादव, वरिष्ठ नेता राकेश पांडेय, योगेश साहू, सेवा सहकारी समिति के पूर्व अध्यक्ष गोल्डी गोस्वामी, पूर्व पार्षद राजू निषाद, सत्यव्रत राय, दीपक चतुर्वेदी, कमलेश चौबे, फिंगेश्वर साहू, कैलाश सोनकर, दयालुराम वर्मा, महिला मोर्चा अध्यक्ष सुनीता कुर्रे, पूर्व पार्षद कमला निषाद, एस सुतार, रीता पांडेय, आयुषी पांडेय, गीता निर्मलकर, नीता वागले उपस्थित थे। तत्पश्चात यह रथ नगर पालिका परसदा ग्राम के लिए प्रस्थान हुआ ए वहां से श्रीराम रथ ग्राम कुगदा होते हुए खारुन ग्रीन पहुंचा एवं वहां से जंजगिरी होते हुए ग्राम रामपुर पहुंचे एवं दिन के अंतिम पड़ाव में शंकरनगर वार्ड 10 होते हुए पुनः वार्ड नंबर 15 शनि मंदिर प्रांगण में रथयात्रा का समापन किया गया।

निगम जनदर्शन में प्राप्त हुए 44 आवेदन

नवप्रदेश संवाददाता

भिलाई। निगम मुख्य कार्यालय में तय समय प्रातः 11 से 1.30 बजे तक निगम सभागार में जनदर्शन आयोजित हुआ। जनदर्शन में आज कुल 44 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 6 आवेदन का त्वरित निराकरण किया गया। निराकरण करने वाले आवेदन में एक आवेदन आवास से तथा अन्य राशन कार्ड से संबंधित था। लोगों की समस्याओं, शिकायतों के निराकरण करने निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी स्वयं उपस्थित रहे। उन्होंने आवेदकों की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुनकर उनके निराकरण के लिए मौके पर उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किए। प्राप्त आवेदन के विषयों एवं समस्याओं को समझकर संबंधित विभागों को निराकरण के लिए अग्रेषित भी किए। निर्धारित समय पर ही आवेदक अपनी समस्याओं को लेकर जनदर्शन में आना प्रारंभ कर दिए थे, वहीं विभागीय अधिकारी भी समय पर उपस्थित हो गए थे। आज अलग.अलग विषयों से संबंधित कुल 44 आवेदन प्राप्त हुए।

सातवीं बटालियन परिसर में ओपन जिम का शुभारंभ

नवप्रदेश संवाददाता

दुर्ग। छग सशस्त्र बलए भिलाई के सातवीं बटालियन परिसर में ओपन जिम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल की अध्यक्षता और पार्षद जयश्री जोशी व सीजू एंथोनी उपस्थिति में हुए कार्यक्रम के दौरान वाहिनी में आयोजित खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरण भी किया। वोरा ने स्थानीय विधायक निधि से ओपन जिम निर्माण के लिए 6.50 लाख की राशि मंजूर की थी। इस राशि से वाहिनी परिसर के बाल उद्यान, तातापानी आवासीय परिसर, वाहिनी सरोवर, 64 ब्लॉक आवासीय परिसर और महानदी आवासीय परिसर में ओपन जिम स्थापित किये गए हैं। ओपन जिम के उद्घाटन के दौरान विधायक वोरा ने महात्मा ग़ांधी का स्मरण करते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने और उनका अनुसरण करने की बात कही। इस मौके पर वोरा ने वाहिनी तालाब के चारों ओर 7 लाख की लागत से पाथ.वे निर्माण और 4.36 लाख की लागत से हाईमास्ट लाइट लगाने की स्वीकृति दी। महापौर धीरज बाकलीवाल ने कहा कि निगम का सम्पूर्ण क्षेत्र बेहतर सुविधाओं के साथ स्वच्छ बनाया जा रहा है। वार्ड पार्षद ने वाहिनी में हो रहे समस्त कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि आवश्यकता होने पर निगम से सहायता दी जाएगी। ओपन जिम निर्माण में सातवीं वाहिनी के सेनानी विजय अग्रवाल का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम के अंत में वोरा ने 22 से 29 अक्टूबर तक आयोजित शहीद सप्ताह के दौरान खेल प्रतिस्पर्धाओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरण किया। कार्यक्रम में निखिल खिचारिया, अजय जैन, एसएन सिंह सहित वाहिनी के समस्त अधिकारी, कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी सहित पुलिस परिवार उपस्थित थे।

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती लछनी साहू पति समयलाल साहू निवासी ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 207 का टु. रकबा 1000.5 वर्गफीट हे. भूमि को विक्रेता शिवनारायण साहू पिता विजयराम साहू अन्य निवासी ग्राम पोटियाकला दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 11.05.2015 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 10.02.2021 तक स्वयं अथवा अपने विघिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 28.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202101100700350

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री सतीश कुमार घरडे पिता स्व. श्यामराव घरडे निवासी ग्राम आमापारा तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1297/20 रकबा 0.007 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार रविशंता पति श्यामराव घरडे की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 12.02.2021 तक स्वयं अथवा अपने विघिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 22.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-74/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक चेतनलाल साहू पिता स्व. केशवराम साहू निवासी ग्राम बोरसी तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 405/1, 407/2, 407/3 रकबा 0.6190, 0.0360, 0.2020 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा मूल ऋण पुस्तिका गुम हो जाने पर डुप्लीकेट ऋण पुस्तिका प्रदाय करने हेतु आवेदन पत्र चालान की मूल प्रति, बैकों द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण पत्र, थाना की रिपोर्ट व राजस्व अभिलेख सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 09.02.2021 तक स्वयं अथवा अपने विघिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 25.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती अंजली लखोटिया पति विक्रय लखोटिया निवासी ग्राम महेश कालोनी दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम पुलगांव तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 130/33 रकबा 0.028 भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार/वसीयतकर्ता गोकुलदास लखोटिया आ. गोपाल लखोटिया के द्वारा आवेदक के पक्ष में दिनांक 26.12.2018 को पंजीकृत वसीयतनामा निष्पादित किया गया है। वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाने पर पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 18.02.2021 तक स्वयं अथवा अपने विघिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 28.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री विक्रम लखोटिया पिता स्व. गोकुलदास लखोटिया निवासी ग्राम महेश कालोनी दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम पुलगांव तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 215/15, 18, 27, 29 रकबा 0.217 भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार/वसीयतकर्ता गोकुलदास लखोटिया आ. गोपाल लखोटिया के द्वारा आवेदक के पक्ष में दिनांक 26.12.2018 को पंजीकृत/अपंजीकृत वसीयतनामा निष्पादित किया गया है। वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाने पर पंजीकृत/ अपंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 18.02.2021 तक स्वयं अथवा अपने विघिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 28.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक श्री राकेश कनौजिया आ. बाबूलाल कनौजिया साकिन रुआबांधा द्वारा ग्राम थनौद प.ह.न. 28 रा.नि.मं. तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 701/4 रकबा 0.030 हे. को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता दशरथ देशमुख आ. भगेला से क्रय किया गया है कि नामांतरण किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को आवेदक के नाम पर नामांतरण किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 17.02.2021 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 23.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदिका पायल ताम्रकार पिता/पति कमल ताम्रकार साकिन अमलेश्वर द्वारा ग्राम थनौद प.ह.न. 28 रा.नि.मं. तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 701/1 रकबा 0.040 हे. को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता केदार देशमुख आ. भगेला व अन्य से क्रय किया गया है कि नामांतरण किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को आवेदक के नाम पर नामांतरण किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 17.02.2021 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 23.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक श्री आदित्य सिंह आ. कुंजलाल सिंह साकिन दुर्ग द्वारा ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 रा.नि.मं. दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 645/76 रकबा 0.007 हे. को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता नीलिमा गजपाल आ. प्रदीप गजपाल से क्रय किया गया है कि नामांतरण किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को आवेदक के नाम पर नामांतरण किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 19.02.2021 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 28.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार धमधा जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-27/वर्ष 2021-22
ग्राम कोड़िया प.ह.न. 27

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक भगवती प्रसाद साहू आ. स्व. श्रीराम नारायण साकिन कोड़िया प.ह.न. 27 तहसील धमधा जिला दुर्ग ने ग्राम कोड़िया में स्थित शामिलात खाते की कृषि भूमि खसरा नं. 222, 592, 657, 678, 591, 658, 144, 223, 20, 31, 73, 75, 116, 119, 124, 125, 225 रकबा 0.05, 0.27, 0.53, 1.01, 0.24, 0.54, 0.30, 0.05, 0.19, 0.11, 0.08, 0.34, 0.17, 0.16, 0.08, 0.13, 0.05 हे. भूमि का बटवारा कराना चाहता है।

यदि जिस किसी भी व्यक्ति को खाता विभाजन के संबंध में कोई आपत्ति दावा या उजर हो तो स्वयं इस न्यायालय में पेशी दिनांक 12.02.2021 को लिखित में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज ईश्तहार आज दिनांक 28.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के सील मुहर से जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, धमधा जिला दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202012100400127

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती कमला वर्मा पिता/ पति कमल नारायण वर्मा निवासी जबलपुर द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम बोरसी प.ह.न. 23 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 242/31, 243/3 रकबा 0.026 हें अर्थात 2800 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु छ.ग.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 59 (2) के तहत पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसके संबध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा आपत्ति हो तो प्रकरण में नियत 07 दिवस के भीतर तक स्वयं अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 03.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया है।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्रं./अ-06/वर्ष 2020-21

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री चुन्नूराम आ. जिवराखन निवासी उतई तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम मचांदुर तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1021/2 रकबा 0.140 हें भूमि जो कि योगेश्वर आ. जिवराखन के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि के भूमिस्वामी योगेश्वर आ. जिवराखन की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर विधिक वारिसानों का नाम वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज किए जाने बाबत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 10.02.2021 तक स्वयं अथवा अपने विघिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 25.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री प्रकाशचंद जैन पिता धनराज जैन निवासी देवकर तह. साजा जिला बेमेतरा मौजा सिकोला प.ह.नं. 08 रा.नि.मं. सिकोला तह. व जिला दुर्ग द्वारा खसरा नंबर 202/85 रकबा 0.022 हे. भूमि प्रकाशचंद आ. ओमशरण गुप्ता है जो विक्रेता के पति का नाम क्रेता के पिता के जगह में लिखा गया है। जिसे सुधार कर प्रकाशचंद जैन आ. धनराज जैन करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 15.02.2021 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 28.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग 02 जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020 -21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक सतीश कुमार पिता श्यामराव धरडे निवासी नया आमापारा वार्ड नं. 12 दुर्ग तह. व जिला दुर्ग मौजा उरला प.ह.नं. 07 रा.नि.मं. सिकोला तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 654/21 रकबा 0.010 हे. 1075 वर्गफीट रविकांता धरडे के नाम पर दर्ज है, भूमिस्वामी की मृत्यु दिनांक 13.12.2018 को हो जाने के कारण वारीसानों का नाम दर्ज करने आवेदन पेश किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 10.02.2021 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 21.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री रमेश ठाकुर पिता स्व. धनऊराम ठाकुर निवासी वार्ड 15 सिकोलाबस्ती दुर्ग मौजा सिकोला प.ह.नं. 08 रा.नि.मं. सिकोला तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 71/39 रकबा 0.008 हे. भूमि को विक्रेता/ आम मुख्तयार रमेश ठाकुर पिता स्व. धनऊराम ठाकुर से दिनांक 02.12.2020 को क्रय कर रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित किया है आवेदक द्वारा उक्त बैनामा के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 12.02.2021 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 27.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री सुजीत सरकार पिता एम.पी. सरकार निवासी म.न. 39 सी.जी. चरोदा भिलाई जिला दुर्ग मौजा सिकोला प.ह.नं. 08 रा.नि.मं. सिकोला तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 57/325 रकबा 0.019 हे. भूमि को विक्रेता/आम मुख्तयार मंजू सिरमौर पिता/ पति रवि सिरमौर से दिनांक 23.12.2020 को क्रय कर रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित किया है आवेदक द्वारा उक्त बैनामा के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 12.02.2021 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 27.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

प्र.क्र.//अ-2/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्व आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री दीपक कुमार केशरवानी आ. श्री शंकरलाल केशरवानी निवासी रिसाली कालोनी आशीष नगर पूर्व तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की भूमि ग्राम सांकरा प.ह.न. 08 तहसील पाटन व जिला दुर्ग की स्थित भूमि खसरा नंबर 505 रकबा 0.020 हें. अर्थात 2000 वर्गफीट की आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन किये जाने के लिये आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 172 के तहत् प्रस्तुत किया हैं।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति या संस्था को उजर दावा आपत्ति हो तो स्वयं या अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से नियत दिनांक 06.02.2021 को न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति पेश कर सकतें हैं। नियत दिनांक के पश्चात् प्राप्त आवेदन कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 22.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर लगाकर जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, पाटन जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग-1 (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आवेदक श्री गंगाराम व अन्य आ. सुरितराम साकिन खोपली के द्वारा ग्राम खोपली प.ह.न. 43 रा.नि.मं. अण्डा तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1103 रकबा 0.21 हे. भूमि विक्रेता रंजय सिंह आ. वीरबहादुर से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 27.08.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को क्रेता के नाम पर प्रमाणीकरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर दावा हो तो व नियत पेशी दिनांक 17.02.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम ये इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 18.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया है।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग-1 (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आवेदक श्री दिनेश बाजपेयी आ. स्व. लक्ष्मण प्रसाद बाजपेयी साकिन इस्पात नगर रिसाली के द्वारा ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 रा.नि.मं. अण्डा तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1013/11 रकबा 0.014 हे. भूमि विक्रेता आर. दिनेश पिता स्व. एम राघवदास साकिन सेक्टर 06 भिलाई से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 11.04.2019 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को क्रेता के नाम पर प्रमाणीकरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर दावा हो तो व नियत पेशी दिनांक 26.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम ये इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 12.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया है।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग उतई सर्किल (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक कोमल तोमनलाल पिता श्यामलाल जाति मरार निवासी खम्हरिया तह. व जिला दुर्ग के द्वारा आवेदक के नाम पर भूस्वामी जमीन वाके मौजा खम्हरिया प.ह.न. 40 स्थित भूमि खसरा नंबर 57 रकबा 0.1700 हे. लगान 0.25 रु राजस्व अभिलेख में दर्ज है। जिससे उसका नाम कोमल दर्ज है जो कि उसका घरेलू नाम है। आवेदक के समस्त शाला अभिलेख, आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं अन्य समस्त अभिलेखो में उसका नाम तोमनलाल है वर्तमान राजस्व अभिलेख में आवेदक का नाम उर्फ में दर्ज कर कोम उर्फ तोमनलाल पिता श्यामलाल दर्ज किए जाने बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत दिनांक 05.02.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 19.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

आम-सूचना

सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैं श्रीमती प्रगति उपाध्याय पति श्री नीलू कुमार उपाध्याय निवासी पाण्डेय डेयरी के पास हरी नगर दुर्ग तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं कि मैं सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी दुर्ग के कार्यालय में भृत्य के पद पर कार्यरत हूं कि मेरे सर्विस रिकार्डो में मेरा नाम प्रगति आर्य आ. श्री एमील मसीह है जो मेरे आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में यही नाम अंकित है कि मेरा विवाह हो जाने से विवाह के पश्चात मेरा नाम श्रीमती प्रगति उपाध्याय पति श्री नीलू कुमार उपाध्याय हो गया है एवं मै मेरे सर्विस रिकार्डो में मेरा नाम सुधार कर श्रीमती प्रगति उपाध्याय पति श्री नीलू कुमार उपाध्याय ही दर्ज किया जायेगा एवं इसी नाम से भविष्य में मुझें जाना व पहचाना जावे तथा भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों में यही नाम दर्ज करवाना चाहती हूं जिस हेतु मैंने श्रीमान कार्यपालिक मजिस्ट्रेट दुर्ग छ.ग. के समक्ष एक शपथ पत्र भी निष्पादित कर लिया हैं।

सो सूचना जावे।

मुहर — श्रीमती प्रगति उपाध्याय, निवासी पाण्डेय डेयरी के पास हरिनगर दुर्ग (छ.ग.)

आम-सूचना

मैं दिनेश मानिकपुरी पिता श्री एफ.डी मानिकपुरी निवासी क्वा. नं. 15/डी ई पाकेट मरोदा सेक्टर भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.) का निवासी हूं। मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई (सेल बी.एस.पी) में कार्यरत् हूं मेरा पर्सनल नं. 151616 है। मेरे संयंत्र के अभिलेखों में मेरे पुत्र नमशित मानिकपुरी का नाम त्रुटिवश नमशित नंदन मानिकपुरी (NAMSHIT NANDAN MANIKPURI) दर्ज हो गया है। मेरे पुत्र के शाला अभिलेख, आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में उनका नाम नमशित मानिकपुरी (NAMSHIT MANIKPURI) दर्ज है जो की सत्य व सही है। मैं अपने भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के समस्त अभिलेखो में अपने पुत्र का वास्तविक एवं सही नाम नमशित मानिकपुरी दर्ज करवाना चाहता हूं। जिस हेतु मुझे शासकीय गजट में प्रकाशन करवाने की आवश्यकता है। मैं अपने पुत्र के नाम सुधार कर नमशित मानिकपुरी (NAMSHIT MANIKPURI) दर्ज कराने हेतु शासकीय गजट में प्रकाशन हेतु शासकीय मुद्राणालय राजनांदगांव जिला राजनांदगांव के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

मुहर — शपथकर्ता, दिनेश मानिकपुरी

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर जिला दुर्ग (छ.ग.)
मामले की श्रेणी-राजस्व
ईश्तहार

मा.क्रं. 202011101000219
विषयः अ-06 वर्ष 2020-21
कचान्दुर प.ह.न. 00017 हे.)
पक्षकारों का विवरण : आवेदक पक्षकार-
ऋषि कुमार निर्मलकर
अनावेदक पक्षकार-

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक ऋषि कुमार निर्मलकर पिता स्व. नंदकिशोर पता रायपुर द्वारा ग्राम कचान्दुर प.ह.न. 17 रा.नि.म. जामुल तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 830/1, 347 रकबा 0.1068, 0.640 हे. है जो उसके स्व. माता गंगाबाई पति स्व. नंदकिशोर एवं अन्य के नाम पर दर्ज है। भूमिस्वामी गंगाबाई पति स्व. नंदकिशोर की मृत्यु को हो जाने के कारण मृतक का नाम विलोपित कर सहखातेदार का नाम यथावत रखे जाने बाबत् आवेदन पत्र मय खसरा बी-1, मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत किया है।

उपरोक्त भूमि का नामांतरण किए जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति संस्था को उजर या दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 22.02.2021 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति पेश कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 21.01.2021 को जारी किया गया है।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, भिलाई नगर (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर जिला दुर्ग (छ.ग.)
मामले की श्रेणी-राजस्व
ईश्तहार

मा.क्रं. 202011101000218
विषयः अ-06 वर्ष 2020-21
कचान्दुर प.ह.न. 00017 हे.)
पक्षकारों का विवरण : आवेदक पक्षकार-
ऋषि कुमार निर्मलकर
अनावेदक पक्षकार-

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक ऋषि कुमार निर्मलकर पिता स्व. नंदकिशोर पता रायपुर द्वारा ग्राम कचान्दुर प.ह.न. 17 रा.नि.म. जामुल तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 346, 348 रकबा 0.090, 0.290 हे. है जो उसके स्व. माता गंगाबाई पति स्व. नंदकिशोर एवं अन्य के नाम पर दर्ज है। भूमिस्वामी गंगाबाई पति स्व. नंदकिशोर की मृत्यु को हो जाने के कारण मृतक का नाम विलोपित कर सहखातेदार का नाम यथावत रखे जाने बाबत् आवेदन पत्र मय खसरा बी-1, मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत किया है।

उपरोक्त भूमि का नामांतरण किए जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति संस्था को उजर या दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 22.02.2021 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति पेश कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 21.01.2021 को जारी किया गया है।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, भिलाई नगर (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर जिला दुर्ग (छ.ग.)
मामले की श्रेणी-राजस्व
ईश्तहार

मा.क्रं. 202011101000217
विषयः अ-06 वर्ष 2020-21
कचान्दुर प.ह.न. 00017 हे.)
पक्षकारों का विवरण : आवेदक पक्षकार-
ऋषि कुमार निर्मलकर
अनावेदक पक्षकार-

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक ऋषि कुमार निर्मलकर पिता स्व. नंदकिशोर पता रायपुर द्वारा ग्राम कचान्दुर प.ह.न. 17 रा.नि.म. जामुल तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 166, 809, 887, 920 कुल रकबा 1.930 हे. है जो उसके स्व. माता गंगाबाई पति स्व. नंदकिशोर एवं अन्य के नाम पर दर्ज है। भूमिस्वामी गंगाबाई पति स्व. नंदकिशोर की मृत्यु को हो जाने के कारण मृतक का नाम विलोपित कर सहखातेदार का नाम यथावत रखे जाने बाबत् आवेदन पत्र मय खसरा बी-1, मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत किया है।

उपरोक्त भूमि का नामांतरण किए जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति संस्था को उजर या दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 22.02.2021 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति पेश कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 21.01.2021 को जारी किया गया है।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, भिलाई नगर (छ.ग.)

न्यूज गैलरी

नकली ऑयल बेचते 4 दुकानदार गिरफ्तार

रायपुर। ऑटों पार्टस की दुकानों में केस्ट्रोल आयल का लेबल लगा नकली ऑयल बेचते पाए जाने पर पुलिस ने चार दुकानों में रेड की कार्रवाही कर 1 लाख 48 हजार 437 रुपये का नकली आयल जब्त किया है। मिली जानकारी के असार टिकरापारा पुलिस ने 29 जनवरी को दिलीप कुमार 42 वर्ष निवासी एन साकेत नगर बगहाबाबा रोड रुस्तमपुर गोरखपुर यूपी की सूचना पर टिकरापारा क्षेत्र में शुक्रवार को दोपहर 3.30 बजे राजू ऑटो सेंटर ,नरेन्द्र ऑटों ,पार्टस ,यूएस ट्रेडर्स पचपेड़ीनाका ,सेफ ऑटों सेंटर दुकान में केस्ट्रोल कंपनी का लेबल लगाकर नकली ऑयल बेचते पाये जाने दुकानदारों के कब्जे से 1 लाख 48 हजार 437 रुपये का आयल जब्त कर दुकानदारों के खिलाफ कापी राईट एक्ट की धारा 63,104 के तहत दुकानदार राजेश राजपूत पिता ओमप्रकाश,संतोष देवांगन,मोहम्मद तहकी कुरैशी एवं मोहम्मद असरफ अंसारी के खिलीाफ कानूनी कार्रवाई की गई है।

शराब दुकान में युवक हुआ पाकिटमारी का शिकार

रायपुर। शराब खरीदने के दौरान एक व्यक्ति के जेब से मोबाईल फोन चोरी कर लेने की रिपोर्ट अभनपुर थाने में दर्ज की गई है। मिली जानकारी के अनुसार रवेली मुजगहन निवासी सुनील अग्रवाल 31 वर्ष ने थाने में शिकायत दर्ज करायी है कि ग्राम छोटे उरला अंग्रेजी शराब दुकान में 29 जनवरी को दोपहर 3.40 बजे दो अज्ञात व्यक्तियों ने शराब खरीदने के दौरान जेब में रखे 1 नग रेडमी कंपनी का मोबाईल अनुमानित कीमत 8500 रुपये को चोरी कर लिया। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 379 के तहत अपराध कायम कर चोरी का मामला दर्ज कर लिया है।

चाकू के साथ युवक गिरफ्तार, मामला दर्ज

रायपुर। गिरफ्तार कर उसके पास से एक नग चाकू जब्त की है। मिली जानकारी के अनुसार बीएसयूपी कालोनी टावर के पास अमलीडीह रायपुर में मुखबीर की सूचना पर पुलिस ने 29 जनवरी को दोपहर 3.30 बजे के आसपास एक व्यक्ति को चाकू लहराकर आने जाने वालों को डराने की सूचना पर घेराबंदी कर राजेन्द्रनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके पास से 1 नग स्टील का कटारनुमा चाकू जब्त की है। पकड़े गए आरोपी का नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम राहुल बोय उर्फ जंगली आयु 19 वर्ष पिता संतोष बोय निवासी बीएसयूपी कालोनी ब्लॉक नंबर बी मकान नंबर 27 अमलीडीह न्यू राजेन्द्रनगर बताया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्सएक्ट की धारा 25,27 के तहत कार्रवाही की गई है।

हादसे में दो बाइक चालकों की मौत, एक घायल

रायपुर। रोड एक्सीडेन्ट में नेवरा क्षेत्र में अलग-अगल जगहों पर दो बाईक सवार की मौत हो जाने व एक व्यक्ति की घायल हो जाने की रिपोर्ट थाने में दर्ज की गई है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम उडेला सुहेला बलौदाबाजार निवासी योगेश्वर साहु 37 वर्ष ने 29 जनवरी को थाने में शिकातयत दर्ज करायी है कि 28 जनवरी को शाम 4.15 बजे 22 मील चौक ग्राम लखना तिल्दा के पास प्रार्थी के छोटे भाई रुप नारायण साहु 30 वर्ष पिता अर्जुन साहु को मोटरसाइकिल से जाते समय तेज रफ्तार कार क्रमांक सीजी 04 केवाय 0403 के चालक ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुये ठोकर मारकर एक्सीडेन्ट कर दिया। जिसके चलते उसकी मौत हो गई।
इसी तरह तिल्दा खरोरा मेन रोड ग्राम कोनारी के पास 27 जनवरी

निधन

रायपुर। पुरानी बस्ती रायपुर निवासी विद्या प्रकाश श्रीवास्तव 70 वर्ष का आज उनके पैतृक गांव कजरा (साजा) में ह्रदयाघात से आकस्मिक निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार कजरा के मुक्तिधाम में किया गया ।

होगी उत्पादों की ब्रांडिंग, तैयार होगा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क

- वनोपजों, उद्यानिकी और कृषि फसलों के प्रसंस्करण से तैयार उत्पादों को लेकर सीएम गंभीर
- मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों व वन विगाग के अधिकारियों को दिए निर्देश

नवप्रदेश संवाददाता

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में वनोपजों, उद्यानिकी और कृषि फसलों के प्रसंस्करण से तैयार किए जा रहे उत्पादों की ब्रांडिंग और उनका सुदृढ़ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार करने के निर्देश सभी जिला कलेक्टरों और वन विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इन उत्पादों की एक ब्रांड के रूप में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग की सुदृढ़ व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जारी निर्देशों में कहा है कि राज्य के विभिन्न जिलों में अनेक वनोपजों, हार्टीकल्चर एवं कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण का

कार्य किया जा रहा है।

जिलों के भ्रमण में मिली ये जानकारी

जिलों में भ्रमण के दौरान यह जानकारी प्राप्त हुई है कि जिले स्तर पर विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन तथा प्रसंस्करण तो हो रहा है किन्तु ब्रांडिंग एवं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क न होने के कारण इन प्रयासों का समुचित लाभ ग्रामीणों को नहीं हो रहा है। राज्य के आदिवासी और ग्रामीण भाईयों को कच्चे माल के संग्रहण तथा प्रसंस्करण का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न जिलों में उत्पादित होने वाले उपयोगी उत्पादों की ब्रांडिंग एवं वितरण का कार्य लघु वनोपज संघ द्वारा संचालित ''संजीवनी दुकानों एवं निजी क्षेत्र की मदद लेकर किया जाए।

केंद्र की आर्थिक सहायता को लेकर भी दी जानकारी

मुख्यमंत्री ने निर्देशों में यह भी कहा है कि विभिन्न जिलों में उत्पादित विभिन्न सामग्रियों के ''उत्पादन केन्द्र'' को यदि ''वन धन केन्द्र'' के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए, तो प्रति केन्द्र 15 लाख रूपए की आर्थिक सहायता केन्द्र सरकार से तत्काल प्राप्त हो जाएगी। उन्होंने राज्य के ग्रामीणों क्षेत्रों में उत्पादित होने वाली समस्त वस्तुओं की एक ब्रांड के रूप में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग की सुदृढ़ व्यवस्था करने के निर्देश सभी कलेक्टरों एवं वन विभाग के संबंधित अधिकारियों को दिए हैं।

मड़ई मेला से हो रहा छग की संस्कृति को सहेजने का काम : डॉ. डहरिया

- नगरीय प्रशासन मंत्री ने बोरिद में शाला भवन का किया लोकार्पण

रायपुर। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया आरंग विकासखण्ड़ के ग्राम बोरिद में आयोजित मड़ई मेला और विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मड़ई मेला के माध्यम से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सहेजने का काम हो रहा है। राज्य की सरकार भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परम्परा को सहेजने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ यहा के तीज-त्यौहारों में शासकीय अवकाश देने की शुरूआत की गई है। नौकरी में भी स्थानीय लोगों को अवसर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गांव में मड़ई मेला खुशियों का त्यौहार है। गांव के लोग आपसी-भाईचारें के बीच इस मेले को आयोजित कर मनाते हैं। इस तरह का आयोजन गांव में होता रहे और

आप सभी सुख-शांति से सद्भावनापूर्वक रहे यहीं कामना है।

मंत्री डॉ. डहरिया ने बोरिद में शाला भवन के अतिरिक्त सभाकक्ष एवं अन्य कार्य का उद्घाटन किया। उन्होंने गांव में सीसी रोड़, अहाता निर्माण के लिए राशि देने की घोषणा भी की। बोरिद की सभा में उन्होंने कहा कि हमारे किसान ही इस प्रदेश और देश की नींव और अर्थव्यवस्था है। किसान मजबूत होंगे तो गांव और प्रदेश मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। इसलिए सरकार द्वारा सबसे पहले सभी किसानों का कर्ज माफ किया । मंत्री डॉ. डहरिया ने कहा कि किसानों के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में विकास के कार्य किए जा रहे हैं। बिजली बिल भी हाफ किया गया है। स्थानीय बेरोजगारों की भर्ती भी शुरू कर दी गई है। 36 में से 24 वादे पूरे कर दिए गए हैं, जल्दी ही शेष वादों को भी पूरा कर दिया जायेगा। सभा को जनपद अध्यक्ष श्री खिलेश देवांगन, सरपंच श्री गौतम चंद्राकर, कोमल साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल सुकमा दौरे पर जाएंगे

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1 फरवरी को प्रदेश के सुकमा जिले के प्रवास पर रहेंगे। अपने प्रवास के दौरान श्री बघेल जिले वासियों को कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री श्री बघेल अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 01 फरवरी को दोपहर 12 बजे हेलीकाप्टर से सुकमा पहुचेंगे। यहां पहुंचने के बाद वे वहां स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल सुकमा का लोकार्पण करेंगे। साथ ही स्कूल का भ्रमण भी करेंगे। दोपहर 12.30 बजे वे सुकमा के ज्ञानोदय परिसर जाएंगे, जहां जिला ग्रंथालाय का लोकार्पण एवं अवलोकन करेंगे। इस दौरान वे सुकमा स्टडी क्लब में छात्रों से चर्चा भी करेंगे।तत्पश्चात श्री बघेल मिनी स्टेडियम जाएंगे जहां वे विभिन्न विभागों की विकास प्रदर्शनी का अवलोकन करने के साथ-साथ हितग्राहियों को सामग्री वितरण करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री कई विकास कार्यो का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे।

समाज कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में नशा मुक्त छग बनाने लिया गया संकल्प

- महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर नशामुक्ति के लिए लोगों ने ली शपथ

रायपुर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर समाज कल्याण मंत्री तथा छत्तीसगढ़ योग आयोग की अध्यक्ष श्रीमती अनिला भेंड़िया की अध्यक्षता में रायपुर के कलेक्टोरेट उद्यान परिसर में शनिवार 30 जनवरी को सुबह 8 बजे नशामुक्ति संकल्प एवं शपथ दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्रीमती भेंड़िया ने नशामुक्त छत्तीसगढ़ बनाने का आव्हान किया और जनसामान्य तथा अधिकारी- कर्मचारियों को नशामुक्ति के लिए शपथ दिलाई। छत्तीसगढ़ योग आयोग के फेसबुक लाईव के माध्यम से रायपुर के बाहर निवासरत योग साधक एवं जनसामान्य द्वारा आनलाइन संकल्प एवं शपथ लिया गया। कार्यक्रम का आयोजन छत्तीसगढ़ योग आयोग और समाज कल्याण विभाग के रायपुर जिला कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में नशापान करने की प्रवृत्ति पर प्रभावी नियंत्रण और नशामुक्ति के पक्ष में जनमत विकसित करने के उद्देश्य से किया गया। भेंड़िया ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद राज्यगीत 'अरपा पैरी के धार.....', रामधुन और नशामुक्ति के गीतो के साथ नशामुक्ति कार्यक्रम की शुरूआत हुई। इस अवसर पर श्रीमती भेंड़िया ने छत्तीसगढ़ योग आयोग के सक्रिय 55 नशामुक्ति योग दूतों को प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान किया। उन्होंने राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की पुस्तिका 'महात्मा गांधी और प्राकृतिक चिकित्सा' का भी अनावरण किया।

इस अवसर पर श्रीमती भेंड़िया ने लोगों को नशामुक्ति के लिए

सहायता

रायपुर श्री प्रगतिशील महिला मंडल दावड़ा कालोनी पचपेड़ी नाका के द्वारा कुलदीप निगम वृद्धाश्रम माना कैम्प में पहुंच कर रोजाना उपयोग होने वाले अनाज एवं मसाले दान किये एवं बुजुर्गों को स्वल्पाहार कराया गया ।

अनुपमा पांडेय शिक्षादूत से हुई सम्मानित

शासकीय प्राथमिक शाला भाठागांव में पढ़ाती हैं अनुपमा पांडे

नवप्रदेश संवाददाता

रायपुर। शासकीय और निजी शालाओं में शिक्षा स्तर को जन-जन द्वारा आकलन किया जाता है और अधिकतर पालक अपने बच्चों को निजी विद्यालय में दाखिला दिलाते हैं। ऐसी स्थिति में निजी विद्यालय की ओर बढ़ते हुए जनमानस के रुझान को बदलने के लिए शासकीय विद्यालय में गंभीरतापूर्वक शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य शासन द्वारा प्रतिवर्ष मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया जाता है। इसी प्रकार रायपुर जिला में जिला स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन आज दिनांक 27/01/2021 को चौबे कॉलोनी स्थित मायाराम सुरजन स्कूल में किया

गया। इस कार्यक्रम में डायरेक्टर एस .के. भारद्वाज जिला शिक्षा अधिकारी , विकास खंड शिक्षा, अधिकारी बीआरसीसी रायपुर शहरी , सत्यदेव वर्मा एमआईसी प्रमुख ,अरविंदो सोसाइटी से पवन द्विवेदी उपस्थित थे। जिनके द्वारा अनुपमा पांडे शासकीय प्राथमिक शाला भाठागांव विकासखंड धरसीवा, जिला रायपुर को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण योजना के तहत '' शिक्षादूत '' सम्मान से अलंकृत किया गया।

कोरोना संक्रमण से 45 स्वस्थ हुए, 370 नए केस

रायपुर। कोरोना वायरस कोविड 19 का संक्रमण अब प्रदेश में धीरे धीरे कम हो रहा है। एंटी वायरस वैक्सिन के आने से एक तरफ जहां प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। वहीं कोरोना संक्रमण की गति में कमी आने से लोग राहत महसूस कर रहे हैं। एम्स हास्पिटल के डायरेक्टर डॉ. नितिन एम नागरकर, मेकाहारा की स्वच्छता कर्मी मंगला, बीएसपी स्थित सेक्टर 9 हास्पिटल के चिकित्सक एवं राजधानी के निजी क्षेत्र के बड़े चिकित्सा संस्थानों के मेडिकल डायरेक्टर एवं सुपर स्पेशिलिस्ट चिकित्सकों द्वारा एवं उनके पैरामेडिकल स्टॉफ द्वारा कोरोना संक्रमण रोधी टीका लगवाकर फेसबुक के माध्यम से लोगों को कोरोना वैक्सिन का टीका लगवाने के लिए जहां प्रेरित किया जा रहा है वहीं अभी भी प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मरीजों के मिलने से सावधानी बरतने की अपील नोडल अधिकारी डॉ. सुभाष पांडेय ने

आमजनों से की है।

छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार शुक्रवार रात 8 बजे की स्थिति में प्रदेश से कुल 45 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होने की जानकारी दी गई है। नोडल अधिकारी डॉ. सुभाष पांडेय के अनुसार 370 नये कोरोना पाजीटिव मरीज मिलने की जानकारी दी गई है। अब तक प्रदेश में कुल 3 लाख 04689 मरीज कोरोना पाजीटिव के पाये गये है जिनमें अस्पताल से अब तक 100518 मरीज कोरोना उपचार के दौरान स्वस्थ होकर अपने घरों तक पहुंच चुके हैं। गत 24 घंटे में होम आइसोलेशन से 410 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं प्रदेश स्तर पर अब तक 1 लाख 96,124 मरीज स्वस्थ होकर अपनी दिनचर्या रोजाना की जारी रखने में सफल हुए हैं। प्रदेश में 455 मरीज गत 24 घंटे में डिस्चार्ज हुए है अब तक प्रदेश में 2,96,642 मरीज इलाज के दौरान शासकीय अशासकीय चिकित्सा संस्थानों में पंजी में दर्ज होकर समुचित उपचार का लाभ लेकर ठीक हो गये हैं।

कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 4358 है। उपचार के दौरान 4 मरीजों की मृत्यु हुई है जिनमें कोविड-1 एवं को मार्बिडिटी के 3 मरीज शामिल है। गत 24 घंटे में 20536 मरीजों का कोरोना टेस्ट किया गया है।

जिलावार कोरोना मरीजों

बालको मेडिकल सेंटर को मिला रायपुर कलेक्टर द्वारा प्रशंसा प्रमाण पत्र

रायपुर। नया रायपुर स्तिथ मध्य भारत का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बालको मेडिकल सेंटर को 26 जनवरी पर माननीय रायपुर कलेक्टर श्री भारती दासन द्वारा प्रधनमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत एवं डॉ खूबचंद भगेल स्वास्थ्य सहायता योजना ;क्कडछ्ड - छ्यक्क्स्ड्ड÷ के तहत अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए प्रशंसा का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया । यह पत्र हॉस्पिटल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस वेंकट कुमार एवं जन सम्पर्क अधिकारी विपेंद्र सिंह राजपूत को दिया गया।

दैनिक **नव प्रदेश**

प्रदेश के साथ पूरा देश...

रविवारीय

भारत से कई देशों में जा रही वैक्सीन

कोरोना वायरस के खिलाफ निर्णायक जंग में भारत सबसे आगे

भारत की वैक्सीन उत्पादन क्षमता सबसे बेहतर

कोरोना महामारी के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने कोरोना वैक्सीन उत्पादन के मामले में भारत की जमकर तारीफकी है। गुतारेस ने कहा कि भारत की वैक्सीन उत्पादन क्षमता दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है और यह दुनिया में सबसे बेहतर है।

कोरोना महामारी के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने कोरोना वैक्सीन उत्पादन के मामले में भारत की जमकर तारीफकी है। गुतारेस ने कहा कि भारत की वैक्सीन उत्पादन क्षमता दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है और यह दुनिया में सबसे बेहतर है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि दुनिया समझेगी कि इसका भरपूर उपयोग होना चाहिए। उन्होंने कहा, ''हमें उम्मीद है कि भारत का टीकाकरण में अहम योगदान रहेगा। भारत के पास सभी तरह के साधन हैं और दुनिया के टीकाकरण में उसकी भूमिका बेहद अहम रहेगी। उसके प्रयासों से वैश्विक टीकाकरण अभियान सफल हो सकेगा।'' संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत अपने पड़ोसी देशों को कोरोना वैक्सीन की 55 लाख से ज्यादा डोज गिफ्ट किया है। इसके अलावा भारत ओमान, CARICOM देशों, निकारगुआ, पसिफिक आइलैंड स्टेट्स को भी वैक्सीन गिफ्ट देने की योजना बना रहा है। बता दें कि भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफइंडिया और भारत बायोटेक ने बड़े पैमाने पर वैक्सीन का उत्पादन किया है। देश में टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है और दूसरे देशों को भी भारत वैक्सीन भेज रहा है।

वहीं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को बताया कि भारत अफ्रीका को कोरोना वैक्सीन की एक करोड़ डोज देने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा COVAX के तहत संयुक्त राष्ट्र के हेल्थ वर्करों के लिए भी नई दिल्ली कोरोना वैक्सीन की 10 लाख डोज देगी।

देश के 191 जिलों से कोरोना खत्म 28 लाख लोगों को लग चुकी है वैक्सीन

कोरोना महामारी के खिलाफप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने जिस ढंग से लड़ाई लड़ी है उससे पूरी दुनिया को ऐतिहासिक लाभ हुआ है. भारत ने कोरोना पर नियंत्रण करके पूरी मानवता को बचाया है. भारत ही एक मात्र ऐसा देश है जिसके पास कोरोना की दो दो वैक्सीन हैं।

वैक्सीन देने वाले देशों में पांचवां नंबर

आपको बता दें कि कोरोना के नए मामलों में कमी के साथ ही देश के जिले कोरोना मुक्त होने लगे हैं. अभी तक 191 जिले ऐसे हैं, जिनमें सात या उससे अधिक दिनों से कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है. कोरोना पर गठित मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने यह जानकारी दी. इसके साथ ही भारत महज 11 दिनों में कोरोना की वैक्सीन देने वाले देशों में पांचवे स्थान पर पहुंच गया है।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने बताया है कि देश में कुल 146 जिले ऐसे हैं, जिनमें पिछले सात दिनों से कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है. वहीं 18 जिलों में पिछले 14 दिनों से, छह जिलों में पिछले 21 दिन से और 21 जिलों में पिछले 28 दिनों से नया मामला सामने नहीं आया है. कोरोना के नए और सक्रिय मामलों में लगभग दो-तिहाई केरल और महाराष्ट्र तक सीमित है.

28 लाख लोगों को लग चुका है कोरोना का टीका

अब तक हिंदुस्तान में 28 लाख लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है. स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के अनुसार भारत महज 11 दिनों में साढ़े 28 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन देने में सफल रहा है. ऐसा करने वाला दुनिया का पांचवां देश बन गया है. भारत में टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी को हुई थी, जबकि अन्य देश दिसंबर के पहले हफ्ते से टीकाकरण कर रहे हैं. भारत में टीकाकरण अभियान की रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महज छह दिनों में 10 लाख लोगों को वैक्सीन दे दी गई।

रिपोर्ट की मानें तो प्राथमिकता वाले समूह में शामिल जितने लोगों को टीका लगा है, उनमें से कोरोना का टीका लगने के बाद अब तक करीब 600 लोगों में दुष्प्रभाव की सूचनाएं हैं, जबकि दो लोगों को वैक्सीन की डोज दिये जाने के बाद हृदयसंबंधी विकार उत्पन्न होने के कारण मौत हो गई। मुरादाबाद में एक 52 वर्षीय व्यक्ति और कर्नाटक में 42 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई। हालांकि, इन दोनों की मौत का वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि जितने लोगों को टीका लगा है, उसके हिसाब से साइड इफेक्ट के मामले में एक फीसदी से भी बहुत कम हैं।

कई राज्यों में रफ्तार धीमी

टीकाकरण की रफ्तार दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों में काफी धीमी है। दिल्ली स्थित एम्स में 18 जनवरी को केवल आठ लोगों को टीका लग पाया। पंजाब में भी 5,900 फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में से केवल 36 फीसदी ही टीका लेने पहुंचे। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में टीका लगाने का काम अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतर है। हालांकि, टीकाकरण की धीमी रफ्तार को लेकर भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस समेत कई देशों में पिछले साल दिसंबर में ही टीका लगाने का काम शुरू हो गया था। सबसे पहले टीके को आपात मंजूरी देने के बावजूद कई देशों में लोगों में वैक्सीन को लेकर संशय है। इस कारण इन देशों में टीकाकरण की रफ्तार धीमी है।

कोरोना वायरस के खिलाफभारत की निर्णायक जंग जारी है। भारत में कोरोना वायरस से मुक्ति के लिए जितनी तेजी से वैक्सीन तैयार की गई, टीकाकरण को लेकर वैसा उत्साह दिख नहीं रहा है। दुनिया के सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण अभियान को शुरू हुए चार दिन बीत चुके हैं। पहले चरण के तहत देश में तीन करोड़ स्वास्थ्यकर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाना है। अब तक कुल 6.31 लाख लोगों (स्वास्थ्यकर्मियों) को टीका लगाया जा सका है। टीकाकरण की रफ्तार धीमी होने की कई वजहें हैं, मसलन कई जगह कोविन एप में तकनीकी खामी और लोगों में डर। हालांकि, ऐसा नहीं है कि सिर्फभारत में ही शुरुआत में टीकाकरम की रफ्तार देखने को मिल रही है। दुनिया के जिन देशों में पहले टीकाकरण अभियान शुरू हुए, वहां भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली।

पाठकों की बात

पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया

जिंदगी मुझसे हर

जिंदगी मुझसे हर साल रुठ कर चल जाने का हठ करती है जिद्दी है बच्चों जैसे मासूमियत नही ओह! जिंदगी जितना पकड़ना चाहती उतना ही दूर भागती है थक कर भी तुम्हारे सामने थकती नही टूटती नही बिखरती नही अभी तो बहुत कुछ बाकी है जिंदगी तुम मेरे साथ-साथ चल।

-प्रीति श्रीवास्तव

लंका में जब हनुमान

लंका में जब हनुमान जी को पकड़कर उनकी पूंछ पर आग लगाई जा रही थी तो क्या हनुमान जी तब कमजोर थे ? नहीं... लेकिन उन्होंने ऐसा होने दिया... क्योंकि वो जानते थे कि इस आग से राक्षसों की स्वर्ण लंका दहन होने जा रही है... धैर्य रखो रामायण महाभारत का अध्यन करो। बहुत कुछ सीखते है आज भी।

- रितेश सोनारे

खास पाती

उर विकल हुआ मन मे

उर विकल हुआ मन मे वेदना भारी शब्द मौन हो चले कैसी ये लाचारी. हृदय में मचा क्रन्दन अपरिमित तन आवरण मुस्कानें मनोहारी. भाव शून्य हो चले चपलताएँ न रहीं खो गये स्वप्न पलकें अश्रुओं से भारी. सावन में पिय की याद सताये निशि दिवस हताशा हाथ लागी. घन कुहासे अस्तित्व रहा न कोई हत हृदय वेदना शिला सी विराजी. उर नित सघन उर्मियाँ उठ रही है. सजन आये नहीं ली न मेरी सुधि. विकल इस हिय की वेदना को स्वर - व्यंजना से मैं कह न सकी. ज्यों रजनी पर रवि है शोभिता मिलें पिय तो जाऊँ उनपे बलिहारी. मन आँगन पतझर हुआ सुस्थिर कैसे अब धीर धरे सखी ये विरही. हो जाये फिर पिया से मेरा संगम मिल जाएगी जीवन सुख की गगरी।

- रश्मि ठाकुर

इतिहास की बातों को याद कर

इतिहास की बातों को याद कर जिसके हम लोग साक्षी भी नही थे उसका प्रतिशोध लेने के लिए प्रेरित करते रहना ही आज की राजनीति का अहम हिस्सा बनते जा रहा जबकि जनता अपने वर्तमान दुर्दशा को पैदा करने वाले लोगो से ही नही निपट पा रही अपने जमीन को अपने रिश्तेदारों से हम लोग नही छुड़ा पाते ,पड़ोसियों से नाली सफाई का विवाद नही सुलझा पाते ,मगर हमारा जोश विरोधियों के छक्के छुड़ाने का होता है।

- संत आर थवाईत

अन्दर सौं मन्दिर बिगारि रहे

अन्दर सौं मन्दिर बिगारि रहे आतातायी, बाहर सौं शत्रु जब तोपै चढ़ आवैगौ। भीतर सम्हारौ चाहे बाहर सम्हारौ तब, तब देश कौ भविष्य बन्धु कैसे बच पावैगौ।

- देव्यानी भरद्वाज

ठूंठ से ही निकलती कोपलें हैं

ठूंठ से ही निकलती कोपलें हैं जिंदादिल वे , जिनमें हौसले हैं काटते काटते जब थकने लगते सुस्ताते , हमारे ही छाँव के तले हैं हमारी मुस्कुराहट देखकर सदा समस्या कहती अरे ये तो पगले हैं चलो कंकर कांटें चुन लें राह के नन्हें नन्हें बच्चों के पाँव बढ़ चले हैं सूरज सच्चा साथी होगा उनका जो अलसुबह जागते सबसे पहले हैं।

- परामेश्वर वैष्णव

शत्रु जहाँ भी छुपा हुआ हो

शत्रु जहाँ भी छुपा हुआ हो , ढूँढ - ढूँढकर तुम मारो। जहाँ जरूरत पड़े वहाँ पर कर कृपाण भी तुम धारो। जो करना है आज करो, हाँ! अभी करो,कल मत टारो- जब तक जीवन शेष धरा पर,तब तक हिम्मत मत हारो।।

- अमित शिवकुमार दुबे

किताब में कुछ गुलाब थे कुछ

किताब में कुछ गुलाब थे कुछ कांटे थे कुछ पत्तियां भी थी वक़्त बीतने के साथ सब सूख गए और किताब पीली पड़ गयी।

- डॉ फतेह सिंह भाटी

जब दो नामर्द लड़ते हैं तो

जब दो नामर्द लड़ते हैं तो ... दोनों एक-दूसरे की माँ को गाली देते हैं और ... आस-पास के हिंजड़े ताली बजाते हुए दोनों को उत्तेजित कर रहे होते हैं...और लड़ो टाइप मतलब बात कैसी भी हो... सतिरंगे का अपमान नहीं होना चाहिए और अगर आप सपोर्ट कर रहे हो तो देख लो शीशे में आप कैसे दिखते हो।

- तनु भारद्वाज

QUIZ TIME

1) 1 अप्रैल 2020 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में मनरेगा की मजदूरी दर कितनी है?

2) छत्तीसगढ़ के कौन-से जिले में कोको की खेती प्रस्तावित है?

3) मधेश्वर की पहाड़ी किस जिले में है?

4) राज्य के किन अभ्यारण्यों को एलीफेंट कॉरिडोर में शामिल किया गया?

5) नवा रायपुर में हज हाउस का शिलान्यास कब किया गया?

Ramaquiz

उत्तरमाला- (1) 190 रुपए प्रतिदिन (2) कोण्डागांव (3) जशपुर (4) बादलखोल, तमोरपिंगला और सेमरसोत (5) 1 अगस्त 2020

आज का इतिहास

नई दिल्ली (वार्ता)। 1561 - मुगल सेना के सेनापति बैरम खां की गुजरात के पाटन में हत्या। 1893 - 'कोका कोला' ट्रेडमार्क का अमेरिका में पहली बार पेटेंट किया गया। 1915- प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस के खिलाफ जहरीली गैस का इस्तेमाल किया । 1946 - तत्कालीन सोवियत संघ के मॉडल के आधार पर यूगोस्लाविया का छह देशों में विघटन (सर्बिया, मोंटेनेग्रो, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया-हर्जेगोविना, मैसेडोनिया) 1953- आईरिश सागर में नौका दुर्घटना में कम से कम 130 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की मौत हो गई। 1961- बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह का निधन। 1963 - मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। 1966 - सोवियत संघ ने लूना कार्यक्रम के तहत मानवरहित लूना 9 अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया। 1971 - पूर्व और पश्चिमी बर्लिन के बीच 19 साल के अंतराल के बाद टेलीफोन सेवा बहाल हुई। 1975- बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा का जन्म। 1996 - श्रीलंका में आत्मघाती हमले में 86 की मौत, 1400 घायल। 2000- भारतीय सिनेमा के मशहूर खलनायक अभिनेता के. एन. सिंह का निधन। 2004- प्रसिद्ध पार्श्व गायिका एवं अभिनेत्री सुरैया जमाल शेख का निधन। 2004- पाकिस्तानी परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉ. अब्दुल कादिर खान अन्य देशों को परमाणु प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के मामले में गिरफ्तार । 2007- भारतीय इस्पात कम्पनी टाटा एंग्लो डच इस्पात कम्पनी कोरस के अधिग्रहण के बाद विश्व की पांचवी बड़ी कम्पनी बनी ।

भारत में न्याय प्रदान करने में महाराष्ट्र सबसे आगे, रैंकिंग में दक्षिणी राज्यों का दबदबा

29% न्यानयाधीश महिलाएं हैं, उच्च न्यायालयों में केवल 11.4% महिलाएं

दो-तिहाई कैदी अभी अंडरट्रायल हैं

नई दिल्ली। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के द्वितीय संस्करण की आज घोषणा की गई. लोगों को न्याय प्रदान करने में भारत के राज्यों की इस एकमात्र रैंकिंग रिपोर्ट में 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों (प्रत्येक एक करोड़ से अधिक आबादी वाला राज्य) में महाराष्ट्र ने एक बार फिर सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है. इसके बाद तमिलनाडु (2019 में तीसरा स्थान), तेलंगाना (2019 में 11वाँ), पंजाब (2019 में 4था) और केरल (2019 में दूसरा स्थान) ने क्रमशः दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवाँ स्थान प्राप्त किया है. सात छोटे राज्यों (एक करोड़ के कम आबादी वाले राज्य) की सूची में शीर्ष पर त्रिपुरा (2019 में 7वाँ) और उसके बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः सिक्किम (2019 में 2रा) और हिमाचल प्रदेश (2019 में 3रा) है.

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (आइजेआर) टाटा ट्रस्ट्स की पहल है जिसे सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, कामनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, दक्ष, टीआईएसएस-प्रयास, विधि सेंटर फॉर लीगल पालिसी और हाउ इंडिया लिव्स का सहयोग प्राप्त है. प्रथम आइजेआर 2019 में जारी की गई थी.

14 महीनों की श्रमसाध्य मात्रात्मक शोध के माध्यम से इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 ने एक बार फिर राज्यों द्वारा सभी को प्रभावकारी ढंग से सेवाएँ देने के लिए न्याय प्रदान करने के अपने-अपने ढाँचों में की गयी प्रगति की खोज की है. इसमें नवीनतम आंकड़ों और परिस्थितियों का विचार किया गया है जैसी वे मार्च 2020 के पहले थीं. इसमें न्याय के चार स्तंभों - पुलिस, न्यायपालिका, कारागार और कानूनी सहायता पर आधिकारिक सरकारी स्रोतों के अन्यथा बंद पड़े आंकड़ों को एक साथ पेश किया गया है.

अखिल भारतीय तस्वीर को मिलाकर रिपोर्ट के निष्कर्ष चौंकाने वाले हैं. भारत में कुल न्यायाधीशों में महिलाओं का अनुपात केवल 29त्र है. देश के दो-तिहाई कैदी अभी अंडरट्रायल हैं. 1995 के बाद पिछ्ले 25 वर्षों में केवल 1.5 करोड़ लोगों को कानूनी सहायता मिली है, जबकि देश की जनसंख्या की 80त्र आबादी इसकी पात्र है.

राज्य के अपने घोषित मानदंडों और मानकों के आलोक में बजट, मानव संसाधन, कर्मी कार्यभार, विविधता, अवसंरचना और प्रवृत्ति (पाँच वर्षों की अवधि में सुधार की आकांक्षा) के नजरिए से प्रत्येक स्तम्भ का विश्लेषण किया गया था. इन प्रसंगों के आधार पर रिपोर्ट में इसका मूल्यांकन किया गया है कि सभी 29 राज्यों और 7 संघ-शासित क्षेत्रों ने स्वयं को योग्य बनाया है, और उनमें से प्रतिस्पर्धा की भावना का परिचय देने वाले 18 बड़े और मध्यम आकार और 7 छोटे आकार के राज्यों की रैंकिंग निर्धारित की गई.

राज्य	रैंक 2020	रैंक 2019	वृद्धि/ गिरावट	राज्य	रैंक 2020	रैंक 2019	वृद्धि/ गिरावट
महाराष्ट्र	1	1	0	राजस्थान	10	14	4
तमिलनाडु	2	3	1	ओडिशा	11	7	-4
तेलंगाना	3	11	8	आंध्र प्रदेश	12	13	1
पंजाब	4	4	0	बिहार	13	17	4
केरल	5	2	-3	कर्णाटक	14	6	-8
गुजरात	6	8	2	उत्तराखंड	15	15	0
छत्तीसगढ़	7	10	3	मध्य प्रदेश	16	9	-7
झारखण्ड	8	16	8	पश्चिम बंगाल	17	12	-5
हरियाणा	9	5	-4	उत्तर प्रदेश	18	18	0

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाटन, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
उद्‌घोषणा

रा.प्र.क्र. अ-2/2019-20

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती पी. कौशल्या पति श्री पी.चिन्नीकृष्णा, निवासी रेल्वे क्वा. नं. 222/ए, जोन-02 बी.एम.वाय चरोदा, तहसील पाटन, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की भूमि ग्राम उरला, प.ह.नं. 03, रा.नि.मं. भिलाई-3, तह. पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.) स्थित भूमि खसरा नं. 39/31 एवं 0.015 हे. अर्थात 1800 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु पुनः निर्धारण के लिए आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 59 (2) के तहत प्रस्तुत किया है, जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा आपत्ति हो तो प्रकरण में नियत दिनांक 06/02/2021 तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्‌घोषणा आज दिनांक 22/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

सील — अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाटन, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग, जिला-दुर्ग
उद्‌घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र./अ-6/2018-19

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक थानेश्वर सारंगपूरे पिता/पति श्री बृजबिहारी सारंगपूरे निवासी सेक्टर-8 भिलाई तहसील दुर्ग जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम जुनवानी तह व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 436/1 रकबा 1250 फीट हेक्टे भूमि को विक्रेता सुरेश कोठारी पिता श्री आसकरण निवासी पदमनाभपुर दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 15/2/2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 15/2/2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं। समयावधि पश्चात आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 27/1/2021 को यह उद्‌घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा के साथ जारी किया गया है।

जारी दिनांक 27/1/201

सुनवाई दिनांक 15/2/2021

सील — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र. अ/6 वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती उल्लियोटु वरलक्ष्मी छ.प. उल्लियोटु लोकेश्वर राव साकिन भिलाई द्वारा ग्राम रिसाली प.ह.नं. 22 रा.नि.मं. तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि ख.नं. 748/1 रकबा 0.016 हे. को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता उम्मन आ. सेमुअल से क्रय किया गया है की नामांतरण किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर नामांतरण किए जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि 17/2/2021 तक या उसके पूर्व या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 23/1/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

सील — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग

87 साल में पहली बार नहीं होगा रणजी ट्रॉफी का आयोजन, बीसीसीआई ने लगाई मुहर

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड(बीसीसीआई) ने घरेलू क्रिकेट पर बड़ा फैसला लेते अभी जारी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बाद विजय हजारे ट्रॉफी आयोजित करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही यह तय हो गया है कि 87 साल में पहली बार फर्स्ट क्लास घरेलू टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं हो सकेगा। 50 ओवर की विजय हजारे ट्रॉफी और भारत-इंग्लैंड के बीच होने वाली सीरीज के आयोजन के साथ ही अब बीसीसीआई महिला सीनियर वनडे ट्रॉफी और अंडर-19 क्रिकेट में वीनू मांकड़ वनडे ट्रॉफी का आयोजन भी कराएगा। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने राज्य संघों को भेजे अपने पत्र में लिखा है कि यह फैसला राज्य संघों से मिले फीडबैक और कोरोना वायरस की वजह से लिया गया है।

इस मुद्दे पर पीटीआई से बात करते हुए शाह ने कहा कि, ''मुझे इस बात को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम इस बार विजय हजारे ट्रॉफी और अंडर-19 वीनू मांकड़ ट्रॉफी के साथ-साथ सीनियर महिला वनडे टूर्नामेंट का भी आयोजन कर रहे हैं।'' शाह ने इस दौरान बताया कि कोरोना काल में लंबे फॉर्मेट का रणजी ट्रॉफी का आयोजन करना काफी मुश्किल था। उन्होंने यह भी कहा कि अभी तक कोरोना महामारी की वजह से हमारा काफी समय बर्बाद हो चुका है।

बता दें कि भारत ने कोरोना काल में सैयद मुश्ताक अली टी-20 टूर्नामेंट का सफलतापूर्वक आयोजन करवाया है। इसके लीग सहित सेमीफाइनल मैच खत्म हो चुके हैं और अब बस फाइनल मैच बचा है। यह कोरोना काल में भारत-इंग्लैंड के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले पॉजिटिव खबर है। दोनों देशों के बीच 5 फरवरी से टेस्ट सीरीज का आगाज हो रहा है। दोनों देशों के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज के बाद, पांच मैचों की टी-20 सीरीज और तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी।

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-3, शंकर नगर पानी टंकी के नीचे,
Email nagarnigamzone3@gmail.com

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 245/20-21

वार्ड का नाम- कालीमाता- 11

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कालीमाता 11 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ 11/जनता 53 सेक्टर-2 शंकर नगर जो कि निगम अभिलेख में श्री नरेन्द्र कुमार डिक्सेना पिता फेकूराम डिक्सेना के नाम से दर्ज है, जिसको यागवेन्द्र डिक्सेना पिता रामचरण डिक्सेना रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

दिनांक -/01/21 — जोन आयुक्त, जोन क्रमांक-3, नगर पालिक निगम, रायपुर

कार्यालय संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-02, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)
फोन नं. 0771-2436320
email ID: eocghbzone04@gmail.com

आम सूचना

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा डूमरतराई, फेस-1 रायपुर में सामान्य आवास योजनांतर्गत निर्मित फ्लैट क्रमांक एमआईजी-187, ब्लाक 08, पंचम तल, श्री सुब्रत शील पिता श्री स्व. नारायण चन्द्र शील के नाम स्ववित्तीय आधार पर आबंटित है। आबंटी द्वारा उक्त फ्लैट का पूर्ण मूल्य जमा कर आपने पक्ष में दिनांक 05.02.2015 को लीजडीड पंजीकृत उपरांत आधिपत्य आदेश प्राप्त कर लिया गया है। उक्त फ्लैट जो कि विजया बैंक शाखा राजेन्द्र नगर रायपुर में बंधक है। विजया बैंक द्वारा उक्त फ्लैट को अमरजीत कौर भाटिया पति श्री रविन्दर पाल सिंह के पक्ष में विक्रय करने हेतु हा. बोर्ड को अनापत्ति पत्र दिया है।

वर्तमान में आबंटी श्री सुब्रत शील पिता श्री स्व. नारायण चंद्र शील निवासी एफ-07 शताब्दी नगर, तेलीबांधा रायपुर (छ.ग.) के द्वारा उक्त फ्लैट को क्रेता श्रीमती अमरजीत कौर भाटिया और श्री रविन्दर पाल सिंह निवासी एमआईजी 235/बी नं 10 पंचम तल हिमालयन हाईट्स डूमरतराई रायपुर तह. व जिला रायपुर (छ.ग.) के नाम पर विक्रय करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त फ्लैट के विक्रय के संबंध में किसी व्यक्ति शासकीय व अर्धशासकीय संस्था, निकाय, बैंक अथवा वित्तीय संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस आम सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर लिखित आपत्ति मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद में प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, सम्पदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-02, रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग, जिला दुर्ग
उद्‌घोषणा

आनलाईन पंजीयन 202101100400/22

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक अंजुम सिद्धिकी पति फययाज अहमद निवासी जुनवानी तहसील व जिला दुर्ग द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की ग्राम जामुल प.ह.नं. 18 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि ख.नं. 359/37 रकबा 0.032 हे. अर्थात 3500 वर्गफुट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत पुर्ननिर्धारण बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्‌घोषणा प्रकाशन के 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्‌घोषणा आज दिनांक 05/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

सील — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग, जिला-दुर्ग

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

प्र.क्र. अ-2 वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्व आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक गोकुल साहू पिता फकीरा साहू निवासी राम नगर शीतला पारा करमा चौक गुढ़ियारी रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) के द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की भूमि ग्राम भोथली प.ह.नं. 58 तहसील पाटन जिला दुर्ग की स्थित भूमि खसरा नं. 217/12 रकबा 0.010 हे. अर्थात 1000 वर्गफीट पर आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन किए जाने के लिए आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 172 के तहत आवेदन पत्र जांच हेतु प्राप्त हुआ है जो कि प्रकरण विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति या संस्था को उजर दावा आपत्ति हो तो स्वयं या अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से नियत दिनांक 06/02/2021 को न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति पेश कर सकते हैं। नियत दिनांक के पश्चात प्राप्त आवेदन में कोई विचार नहीं किय जावेगा।

आज दिनांक 22/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर लगाकर जारी किया गया।

सील — अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाटन, जिला दुर्ग

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

प्र.क्र. अ-2 वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्व आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक संजीव कुमार वर्मा पिता मथुरा सिंह वर्मा निवासी- केसतरा पो. सम्बलपुर, व्याहा नांदघाट जिला दुर्ग (छ.ग.) के द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की भूमि ग्राम उरला प.ह.नं. 03 तहसील पाटन जिला दुर्ग की स्थित भूमि खसरा नं. 39/27 रकबा 0.020 हे. अर्थात 2400 वर्गफीट पर आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन किए जाने के लिए आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 172 के तहत आवेदन पत्र जांच हेतु प्राप्त हुआ है जो कि प्रकरण विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति या संस्था को उजर दावा आपत्ति हो तो स्वयं या अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से नियत दिनांक 06/02/2021 को न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति पेश कर सकते हैं। नियत दिनांक के पश्चात प्राप्त आवेदन में कोई विचार नहीं किय जावेगा।

आज दिनांक 22/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर लगाकर जारी किया गया।

सील — अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाटन, जिला दुर्ग

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

प्र.क्र. अ-2 वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्व आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक कृतिका नाबा. दीपांजली नाबा. पिता राजीवकुमार दास निवासी- क्वा. नं. 200/, जोन-2, चरोदा जिला दुर्ग (छ.ग.) के द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की भूमि ग्राम उरला प.ह.नं. 03 तहसील पाटन जिला दुर्ग की स्थित भूमि खसरा नं. 39/22 रकबा 0.020 हे. अर्थात 2400 वर्गफीट पर आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन किए जाने के लिए आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 172 के तहत आवेदन पत्र जांच हेतु प्राप्त हुआ है जो कि प्रकरण विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति या संस्था को उजर दावा आपत्ति हो तो स्वयं या अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से नियत दिनांक 06/02/2021 को न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति पेश कर सकते हैं। नियत दिनांक के पश्चात प्राप्त आवेदन में कोई विचार नहीं किय जावेगा।

आज दिनांक 22/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर लगाकर जारी किया गया।

सील — अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाटन, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाटन, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
उद्‌घोषणा

रा.प्र.क्र. अ-2/2019-20

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती पी. कौशल्या पति श्री पी. चिन्नीकृष्णा, निवासी रेल्वे क्वा.नं.222/ए, जोन-02 बी.एम.वाय चरोदा, तहसील पाटन, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की भूमि ग्राम चरोदा, प.ह.नं. 57, रा.नि.मं. भिलाई-3, तह. पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.) स्थित भूमि खसरा नं. 277/25, एवं 277/91 रकबा 0.014 हे. एवं 0.0154 हे. अर्थात कुल रकबा 0.029 हे. याने 3075 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु पुनः निर्धारण के लिए आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 59 (2) के तहत प्रस्तुत किया है, जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा आपत्ति हो तो प्रकरण में नियत दिनांक 06/02/2021 तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्‌घोषणा आज दिनांक 22/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

सील — अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाटन, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाटन, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
उद्‌घोषणा

रा.प्र.क्र. अ-2/2019-20

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री पी. कान्ता राव, पिता श्री पी. पेन्टया राव, निवासी रेल्वे क्वा. नं.222/ए, जोन-02 बी.एम.वाय चरोदा, तहसील पाटन, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की भूमि ग्राम चरोदा, प.ह.नं. 57, रा.नि.मं. भिलाई-3, तह. पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.) स्थित भूमि खसरा नं. 277/22 रकबा 0.033 हे. अर्थात 3550 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु पुनः निर्धारण के लिए आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 59 (2) के तहत प्रस्तुत किया है, जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा आपत्ति हो तो प्रकरण में नियत दिनांक 06/02/2021 तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्‌घोषणा आज दिनांक 22/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

सील — अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाटन, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-3, शंकर नगर पानी टंकी के नीचे,
Email nagarnigamzone3@gmail.com

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 246/20-21

वार्ड का नाम- कालीमाता- 11

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कालीमाता 11 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ 11/जनता 52 सेक्टर-2 शंकर नगर जो कि निगम अभिलेख में श्री राधाबाई w/o स्व. रेवाराम डिक्सेना के नाम से दर्ज है, जिसको यागवेन्द्र डिक्सेना पिता रामचरण डिक्सेना रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

दिनांक -/01/21 — जोन आयुक्त, जोन क्रमांक-3, नगर पालिक निगम, रायपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-3, शंकर नगर पानी टंकी के नीचे,
Email nagarnigamzone3@gmail.com

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 247/20-21

वार्ड का नाम- कालीमाता- 11

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कालीमाता 11 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ 11/सी-19 राजीव नगर जो कि निगम अभिलेख में श्री रमेश प्रीतवानी s/o स्व. शिवदास प्रीतवानी के नाम से दर्ज है, जिसको नवीन कुमार गुप्ता s/o रमेशचन्द गुप्ता रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

दिनांक -/01/21 — जोन आयुक्त, जोन क्रमांक-3, नगर पालिक निगम, रायपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-3, शंकर नगर पानी टंकी के नीचे,
Email nagarnigamzone3@gmail.com

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 248/20-21

वार्ड का नाम- कालीमाता- 11

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कालीमाता 11 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ 30/1317 तरूण नगर (कुष्ठबस्ती) जो कि निगम अभिलेख में श्रीमती रामहीन बाई यादव w/o स्व. ईतवारी यादव के नाम से दर्ज है, जिसको श्री द्वारिका यादव s/o बिसहत यादव रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

दिनांक -/01/21 — जोन आयुक्त, जोन क्रमांक-3, नगर पालिक निगम, रायपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-3, शंकर नगर पानी टंकी के नीचे,
Email nagarnigamzone3@gmail.com

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 249/20-21

वार्ड का नाम- कालीमाता- 11

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कालीमाता 11 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ 452 खपराभट्टी जो कि निगम अभिलेख में श्री अमित सोनी s/o गिरीश सोनी के नाम से दर्ज है, जिसको श्रीमती पिंकी सूर्यवंशी पति तरूणराज सूर्यवंशी रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

दिनांक -/01/21 — जोन आयुक्त, जोन क्रमांक-3, नगर पालिक निगम, रायपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-3, शंकर नगर पानी टंकी के नीचे,
Email nagarnigamzone3@gmail.com

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 250/20-21

वार्ड का नाम- रानी लक्ष्मीबाई-10

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई-10 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ शा.न.ज. प्रगति नगर मोवा जो कि निगम अभिलेख में श्री धनेशराम साहू s/o दुखवाराम साहू के नाम से दर्ज है, जिसको श्री मदनलाल साहू s/o स्व. धनेश राम साहू रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

दिनांक -/01/21 — जोन आयुक्त, जोन क्रमांक-3, नगर पालिक निगम, रायपुर

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, सम्पदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-1, सिरपुर भवन, व्यवसायिक परिसर कबीर नगर, रायपुर
email ID-eocghbzone1@gmail.com

आम सूचना

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा कालोनी वीरसावरकर नगर हीरापुर रायपुर में निर्मित एमडी में से भवन योजना के अंतर्गत भूखण्ड/ भवन क्रमांक एमडी-77 में इण्डोवर्थ इंडिया लि. द्वारा श्रीपद नारायण शेनवई पिता श्री एन.एल. शेनवई को स्ववित्तीय/ भाड़ाक्रय/ आफर/ एकमुश्त आधार पर आबंटित/ नामांतरित किया गया है। उनके द्वारा दिनांक 09.06.2016 विक्रय विलेख पंजीकृत करा लिया गया है।

क्रेता के द्वारा दिनांक 13.07.2017 को विक्रय विलेख पंजीकृत कराने उपरांत उक्त भवन/भूखंड अपने नाम पर नामांतरण करने हेतु आवेदन पत्र, विक्रय विलेख की छायाप्रति, सहमति पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर उक्त भवन/भूखंड क्रेता श्रीमती अंजनी देवी पति श्री उपेन्द्र नारायण सिंह के नाम पर नामांतरण किया जाना है।

अतः किसी भी व्यक्ति शासकीय/ अर्द्धशासकीय/ वित्तीय संस्था इत्यादि को उक्त भूखंड/भवन के नामांतरण के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस कार्यालय में लिखित रूप से प्रमाणित दस्तावेज सहित इस आम सूचना प्रकाशन की तिथि से 15दिवस के अंदर स्वतः उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति मान्य नहीं की जावेंगी, एवं भवन का नामांतरण आदेश जारी कर दिया जावेगा।

सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, सम्पदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01, कबीर नगर, रायपुर

कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई, जिला-दुर्ग
जोन क्रमांक- 02
E-mail :- zonetwobhilai@rediffmail.com

क्र./लो.क.वि./जोन-2/2021/1880/317 — भिलाई, दिनांक 29/01/2021

// रूचि की अभिव्यक्ति ऑफर सूचना //

नगर पालिक निगम भिलाई भिलाई नगर पालिक निगम क्षेत्रांतर्गत ट्रेफिक सिग्नल की स्थापना एवं पांच वर्षो तक संधारण एवं संचालन कार्य हेतु रूचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.) (तृतीय बार) के तहत निविदा आमंत्रण हेतु एकीकृत पंजीयन प्रणाली ठेकेदारों/ एन.जी.ओ./एजेंसी/ स्व सहायता समूह जिन्हें छ.ग. राज्य अंतर्गत किसी भी नगर पालिक निगम/ नगर परिषद आदि संस्थाओं में ट्रेफिक सिग्नल की स्थापना एवं संचालन एवं संधारण कार्य के अनुभव हो से रूचि की अभिव्यक्ति ऑफर आमंत्रित किया जाता है।

उक्त ऑफर में भाग लेने हेतु निविदाकार को लिफाफा ''अ'' में **रु. 750.00** मात्र का डिमांड ड्राफ्ट एवं धरोहर राशि के रूप में **रु. 50,000.00** मात्र का एफ.डी.आर. किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से कार्यपालन अभियंता नगर पालिक निगम भिलाई एवं एजेंसी के संयुक्त नाम से प्रस्तुत करना होगा। तकनीकी ऑफर के रूप में प्रस्तावित कार्यों का विवरण तीन वर्षो में किसी एक वर्ष में 1.00 करोड़ का टर्न ओवर पंजीयन प्रमाण-पत्र, पेन कार्ड, आयकर, जी.एस.टी. प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण-पत्र जीवित बैंक साल्वेंसी प्रमाण-पत्र की नोटरी/ स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति, नोटरी शपथ पत्र, लिफाफा ''**ब**'' में तथा लिफाफा ''**स**'' में वित्तीय ऑफर प्रस्तुत करना होगा। ऑफर स्पीड पोस्ट/ रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से **दिनांक 08.02.2021 को सायं 5.00 बजे** तक कार्यपालन अभियंता जोन क्रमांक-02 वैशाली नगर यूको बैंक के पास नगर पालिक निगम भिलाई के पते पर स्वीकार किए जाएंगे। उक्त तिथि के बाद प्राप्त लिफाफे स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

प्राप्त ऑफर दिनांक 09.02.2021 को 11.00 बजे लिफाफा ''**अ**'' एवं ''**ब**'' खोले जावेंगे। नियम एवं शर्तों का अवलोकन कार्यालयीन समय में कार्यपालन अभियंता, जोन क्रमांक-02 वैशाली नगर, नगर पालिक निगम भिलाई (छ.ग.) में किया जा सकेगा। दर को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के पास सुरक्षित रहेगा। प्रस्तावित निविदा हेतु तैयार किए गए नियम शर्तें एवं प्रस्तावित स्थलों की जानकारी निगम के वेबसाईट www.bhilainagarnigam.com एवं संचालनालय की वेबसाईट www.uad.cg.gov.in एवं www.eproc.cgstate.gov.in और bhilai.urbanecg.gov.in में देखी जा सकती है।

कार्यपालन अभियंता

कार्यालय, नगर पालिक निगम (जोन-4), रायपुर (छ.ग.)
प्रेस क्लब के बाजू, पानी टंकी मोतीबाग चौक

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 360/2020-21

वार्ड का नाम- पं. भगवतीचरण शुक्ल- 57

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पं. भगवतीचरण शुक्ल-57 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ 57/445 जो कि निगम अभिलेख में श्री मो. हाफिज उल्ला वल्द मो. रहमत उल्ला के नाम से दर्ज है, जिसको श्री मो. जाकिर उल्ला पिता मो. हाफिज उल्ला ने शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने। — जोन कमिश्नर, जोन क्र.-04, नगर निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम (जोन-4), रायपुर (छ.ग.)
प्रेस क्लब के बाजू, पानी टंकी मोतीबाग चौक

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 353/2020-21

वार्ड का नाम- पं. भगवतीचरण शुक्ल- 57

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पं. भगवतीचरण शुक्ल-57 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ 57/868 पेंशनबाड़ा जो कि निगम अभिलेख में श्रीमती भूरीबाई पति स्व. छेदीलाल बर्मन के नाम से दर्ज है, जिसको श्री दिनेश कुमार बर्मन पिता स्व. श्री छिद्दीलाल बर्मन ने शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने। — जोन कमिश्नर, जोन क्र.-04, नगर निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम, जोन क्र. 5 रायपुर
ईदगाह भाठा, पानी टंकी, रायपुर (छ.ग.)
ph.No. 0771-40455819 Email rmczone5@gmail.com

ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना

नामांतरण प्र.क्र. 340 दिनांक 19.01.21

वार्ड का नाम वार्ड- भक्तमाता कर्मा-67

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड-67 भूखंड क्र. 26 ख.नं. 4257/2-3 रकबा 1250 व.फीट निगम अभिलेख में जी.टी. होम्स द्वारा जी.एस. राजपाल एवं गुरूजीत सिंह राजपाल के नाम से दर्ज है जिसको श्री तुषार अग्रवाल पिता मधुरमूर्ति अग्रवाल ने रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन कमिश्नर, जोन क्रमांक-5, नगर पालिक निगम, रायपुर

कार्यालय, नगर पालिक निगम जोन क्र. 7, रायपुर
मंगलम काम्पलेक्स, अग्रसेन चौक के पास, रायपुर (छ.ग.)

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 217/20-2021

वार्ड का नाम- सरदार वल्लभभाई पटेल-24

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि सरदार वल्लभभाई पटेल वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ 24/818 सी-00834 जो कि निगम अभिलेख में श्री/श्रीमती अरविन्द कुमार पिता स्व. किशन कुमार त्रेहन से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती पार्वती शर्मा पति स्व. कैलाश शर्मा ने मृत्यु प्रमाणपत्र/ सहमति पत्र/ शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने। — जोन कमिश्नर, जोन क्र.-07, नगर पालिक निगम, रायपुर

कार्यालय, नगर पालिक निगम जोन क्र. 7, रायपुर
मंगलम काम्पलेक्स, अग्रसेन चौक के पास, रायपुर (छ.ग.)

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 218/20-2021

वार्ड का नाम- सरदार वल्लभभाई पटेल-24

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि सरदार वल्लभभाई पटेल वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ 24/2590 डी-000399 जो कि निगम अभिलेख में श्री/श्रीमती सुखनंदन दास पिता मिलाप दास मानिकपुरी से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती महावीर साहू पिता नोहर साहू ने मृत्यु प्रमाणपत्र/ सहमति पत्र/ शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने। — जोन कमिश्नर, जोन क्र.-07, नगर पालिक निगम, रायपुर

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला गरियाबंद (छ.ग.)
निविदा आमंत्रण हेतु कार्य की सूची

निविदा आमंत्रण सूचना क्र. पुअ/गरि/93/AC-1/2021 — गरियाबंद, दिनांक 21/01/2021

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से लोक निर्माण विभाग/R.E.S. में पंजीकृत ई पंजीयन के तहत डी वर्ग या ऊपर श्रेणी के ठेकेदार प्रपत्र ''अ'' में प्रतिशत दर पर छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी भवन कार्य के एस.ओ.आर. 01.01.2015 के आधार पर निम्नलिखित तिथि को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में मुहरबंद दो लिफाफा पद्धति के तहत रजिस्टर डाक/स्पीड पोस्ट/By hand निविदाएं आमंत्रित की जाएगी। निविदा से संबंधित तिथियां निम्नानुसार है :- 1. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 18/02/2021 अपरान्ह 05.00 बजे तक 2. निविदा प्रपत्र कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि :- 19/02/2021 अपरान्ह 03.00 बजे तक 3. निविदा खुलने की तिथि :- 19/02/2021 सायं 04.00 बजे से। उपरोक्त में से किसी तिथि को शासकीय अवकाश घोषित होने की स्थिति में आगामी कार्य दिवस में पूर्व निर्धारित समय तक मान्य किया जावेगा।

स.क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की लागत	अमानत राशि टी.डी. आर. के रूप में
1	2	3	4
01	रक्षित केन्द्र गरियाबंद में मैग्जीन रूम निर्माण कार्य	16.00 लाख	12000

नोट :- निविदा प्रपत्र का मूल्य- 750/- एवं कार्य पूर्ण करने का समय-02 माह वर्षाकाल सहित होगी। निविदा की अन्य नियम व शर्तें एवं जानकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय, गरियाबंद से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।

जी-86719/3 — पुलिस अधीक्षक, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)

कुनबी समाज के कार्यालय का शिवरतन ने किया उद्घाटन

भाटापारा। प्रदेश कुनबी समाज महासंघठन छत्तिसगढ की शाखा भाटापारा में वार्षिक कार्यक्रम एवं हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम के साथ कार्यालय का उद्घाटन विधायक शिवरतन शर्मा के करकमलो द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम में भाटापारा के सभी सदस्य एवं महिलाएं उपस्थित थे। रंगारंग कार्यक्रम के साथ बच्चों के न्यृत्य किये गये। इस कार्यक्रम में, प्रदेश अध्यक्ष रंजीत भाऊ मुनेश्वर एवं प्रदेश महिला मंडल की उपाध्यक्ष श्रीमती जयश्री राजु ब्राम्हणकर जी, स्टेशन वार्ड की पार्षद श्रीमती उषाताई बालाजी चुटे, भाटापारा अध्यक्ष श्री प्रेम भाऊ बोहरे जी, कार्यकारी अध्यक्ष श्री सुरेश राव ब्राम्हणकर जी एवं बड़ी संख्या में सदस्यों की उपस्थिति थी।इस अवसर पर विधायक ने भवन निर्माण के लिए 5 लाख रुपये देने की घोषणा की। समाज के द्वारा विधायक शिवरतन शर्मा को, 'भाटापारा गौरव' सम्मान से सम्मानित किया गया है। तथा कुनबी समाज के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश ब्राम्हणकर को भी सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम में, उपाध्यक्ष प्रकाश बागडे, राजेश चुटे, रिषम बहेकार, चन्दशेखर दोनोडे, नरेंद्र ब्राम्हणकर, सुनील ब्राम्हणकर तथा महिला मंडल के अध्यक्ष श्रीमती मेघा चुटे, कार्यकारी अध्यक्ष सत्यभामा वाढई, बेबी बाई बोहरे, रेणू बाई बहेकार, कमला ब्राम्हणकर, शुक्षमा दोनोडे, सिमा बोहरे, और अन्य सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन शुभम मुनेश्वर ने किया है।

चैतराम तहसील साहू संघ के अध्यक्ष बने

भाटापारा। भाटापारा तहसील साहू संघ का चुनाव सिंगारपुर में जिला अध्यक्ष धनंजय साहू निर्वाचन अधिकारी पंचराम साहू,बुधराम जिला उपाध्यक्ष तेजराम साहू, लीलेश्वरी साहू के द्वारा सम्पन्न कराया गया जिसमे अध्यक्ष पद हेतु चैतराम साहू प्रतिद्वंदी रामु साहू रहे वही चैतराम साहू बहुमत हासिल कर अध्यक्ष निर्वचित हुवे जहा समाज के सम्मानीत पदाधिकारी गण उपाध्यक्ष भरत लाल साहू मल्दी,उपाध्यक्ष ममता कमलेश साहू,नरायन साहू नगर अध्यक्ष भाटापारा घनाराम नगर उपाध्यक्ष भाटापारा, कल्याणी साहू नगर महिला उपाध्यक्ष भाटापारा, तिहारु साहू तरेंगा परीक्षेत्र अध्यक्ष,टीकाराम साहू उपाध्यक्ष तरेंगा ,नीलिमा साहू उपाध्यक्ष, संगीता मनोहर साहू जनपद अध्यक्ष भाटापारा, सहदेव साहू मोपर परिक्षेत्र,मनहरण साहू मोपर परीक्षेत्र.,रूखमणी रामावतार साहू उपाध्यक्ष मोपर परीक्षेत्र.,कुलेश्वर साहू मोपका परीक्षेत्र अध्यक्ष,.,झाडूराम साहू मोपका परीक्षेत्र,रूखमणी साहू उपाध्यक्ष मोपका परीक्षेत्र,रामसागर अध्यक्ष सिंगारपुर परीक्षेत्र,महेश साहू उपाध्यक्ष, सिंगारपुर परीक्षेत्र,धनेश्वरी साहू उपाध्यक्ष सिंगारपुर परीक्षेत्र,रामु साहू पूर्व संरक्षक तह. साहू संघ भाटापारा,घनिराम साहू,देशीराम साहू,श ोभु साहू,पन्ना लाल साहू, देवक साहू, सुरित साहू,कोमल साहू, रामजी, संतोष साहू, राजा राम,नरेश साहू, घनाराम साहू, खूबीराम साहू, बीरबल साहू, ओमप्रकाश, धेलूराम साहू, चेतन, रिखीराम, सुंदर, सहित समस्त पदाधिकारियों ने शुभकामनाएं दी है।

रत्नगर्भा अकादमी से प्रशासनिक अफसर बनने का मार्ग हो रहा प्रशस्त्र

- **उत्साह और आत्मविश्वास से लबरेज हैं प्रतियोगी**
- **जिला प्रशासन की पहल से सैकड़ों युवाओं का सपना होगा साकार**

गरियाबंद। रत्नगर्भा अकादमी से जिले के सैंकड़ों युवाओं का सपना साकार होने का मार्ग प्रशस्त्र हो रहा है। जिले के सुदूर अंचल से ग्रामीण प्रतिभावान और प्रशासनिक अफ्सर बनने की चाह रखने वाले सैंकडों युवाओं के लिए रत्नगर्भा अकादमी एक कुशल मार्गदर्शक बनकर रास्ता दिखा रहा है। जिससे उचित अवसर और प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे युवा उत्साह और आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दे रहे हैं। कलेक्टर निलेश कुमार क्षीरसागर की पहल और सोंच से जिले में रत्नगर्भा अकादमी फॉर कम्पीटिटिव एक्जाम-रेस का संचालन किया जा रहा है। इसके माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए विगत 7 दिसंबर 2020 से तीन बैच का संचालन प्रतिदिन किया जा रहा है। कलेक्टर श्री क्षीरसागर की मंशानुरूप

शुरूआत में पी.एस.सी-2020 के प्री-परीक्षा हेतु 60 दिवसीय केस कोर्स का संचालन किया जा रहा है। ''रेस'' के माध्यम से प्रतियोगियों को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और प्रदेश के ख्याति नाम विषय-विशेषज्ञों का मार्गदर्शन और अनुभव का लाभ मिल रहा है। कलेक्टर निलेश कुमार क्षीरसागर, पुलिस अधीक्षक बी.आर पटेल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी चन्द्रकांत वर्मा जैसे सफल प्रशासनिक अधिकारी द्वारा समय-समय पर परीक्षा में सफल होने के गुर बताए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश में कई वर्षो से लोक सेवा आयोग व अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अपना सतत मार्गदर्शन प्रदान करने वाले वी.के. नायक एवं लक्ष्मीनारायण पटेल भी अपना व्याख्यान दे चुके है।

प्रशासनिक अफ्सर बनने के सपने संजोकर रेस अकादमी में कोचिंग प्राप्त करने वाले देवभोग के दिगाम्बर सिन्हा ने कहा कि कोरोना काल में जहां पढ़ाई शून्य हो गया था वहीं रत्नगर्भा अकादमी से एक नये ऊर्जा का संचार हुआ है। उन्होंने कहा कि वे यहां पिछले दो महीने से किराये में रहकर कोचिंग कर रहे हैं। 20 वर्षीय दिगाम्बर ने बताया कि 60 दिन का केश कोर्स में इस तरह कोर्स डिजाईन किया गया है कि यह छः माह के तैयारी के बराबर है। उन्होंने जिला प्रशासन को इस अभिनव पहल के लिए बधाई देते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया है। मैनपुर से प्रतिदिन कोचिंग में आने वाली श्रीमती बिन्दिया भारती निःशुल्क कोचिंग की सुविधा से उत्साहित है।

अगर यही हाल रहा तो गांव में नहीं मिलेगा मनरेगा में कोई काम करने वाला : प्रज्ञा निर्वाणी

- **बिलई में ग्रामीणों ने कम मनरेगा मजदूरी दर की शिकायत जिला पंचायत सदस्य प्रज्ञा निर्वाणी से की**

बेमेतरा। ग्राम पंचायत बिलई में अखण्ड नवधा रामायण के समापन पर पहुँची जिला पंचायत सदस्य प्रज्ञा निर्वाणी से उपसरपंच कृष्णा साहू, योगेश साहू और युवा ग्रामीणो ने मिलकर मनरेगा के तहत हुए कार्य मे इंजीनियर सुशमा की शिकायत करते हुए कहा कि वह एक भी बार भी फील्ड के निरीक्षण के लिए नही आई और घर बैठे ही गोदी का रिपोर्ट तैयार कर दी है, उपसरपंच कृष्णा साहू ने कहा कि रोज का वीडियो बनाकर इंजीनियर मेडम को भेजा गया फिर भी उन्होंने मजदूरी दर में कटौती कर दिया और 90 रुपये के हिसाब से मजदूरी आयी है,ग्रामीणो ने यहाँ तक कहा ये अफ्सर अधिकारी घर बैठे तनख्वाह पाते हैं, हम सुबह ठिठुरती सर्दी में पूरे परिवार जाकर पसीना बहा रहे है, मेहनत कर रहे है, जिसका यह शिला मिल रहा है अगर यही रवैया अधिकारियों का रहा तो गांव में कोई भी मनरेगा काम मे नही जाएगा अगर भेजी गई मूल्यांकन को दुरुस्त नही किया गया तो जनपद में जाकर अधिकारी का घेराव करेंगे, जिला पंचायत सदस्य प्रज्ञा निर्वाणी ने तुरंत मनरेगा के तकनीकी मूल्यांकन अधिकारी सुषमा फ़ोन पर चर्चा कर बिलई आकर उनकी उपस्थिति में और सभी गर्मिणों के सामने कारण बताने और पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है और कहा कि सरकार ने ग्रामीणो को राहत देने रोजगार देने के लिए काम जारी किए हैं,उनकी हक़ का वाजिब दाम अगर उन्हें नही मिला तो ऐसे अधिकारियों की खैर नही होगी और यही हाल रहा तो मनरेगा में काम करने के लिए गांव से कोई मजदूर किसान नही मिलेगा, जनपद पंचायत बेमेतरा के उक्त इंजीनियर ने पुनः गांव आकर मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने की बात कही है, ग्रामीणों ने जिला पंचायत सदस्य प्रज्ञा निर्वाणी का आभार व्यक्त करते हुए गांव के गलियों के सीमेंटीकरण की मांग रखी और कहा कि बरसात में घुटनो तक पानी गलियों में भरा रहता है, घर से एक जोड़ी कपड़ा लेकर निकलते हैं ताकि बाहर जाकर बदल सके।

अंचल में धूमधाम से मना दान का प्रतीक लोकपर्व : छेरछेरा

अर्जुनी। अंचल में महादान का लोक पर्व व धन सम्पन्नता का प्रतीक पर्व छेरछेरा धूमधाम से मनाया गया। यह त्यौहार छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहारों में से एक है इसे छेरछेरा पर्व को लेकर अनेक प्रकार की किवदंती व मान्यताएं है।छेरछेरा मांगने और देने के क्रम में कोई छोटा या बड़ा का भाव नही होता है,यह एक ऐसा पर्व है जिसमे गांव का समृद्ध किसान भी मांगता है और मजदूर भी अन्नदान करते है। कृषि प्रधान समृद्ध राज्य होने के साथ ही यह परंपरा प्राचीन है जिसके कारण इसे किसानों के सम्पन्नता का प्रमुख त्यौहार माना जाता है,साथ ही इसे लोगों द्वारा धूमधाम से मनाया गया । बच्चों से लेकर युवा व प्रबुद्ध जन सुबह से ही सामूहिक निकलकर घरों में जा जाकर ÷छेरछेरा माई कोठी के धान ल हेरते हेरा ÷ व ÷ अरन बरन कोदो दरन जबे देबे तभे तरन÷ जैसे लोकोक्ति कहकर धान को दान में लिया , वही इस पर्व में दान को प्रत्येक घरो में जाकर आधिकारिक स्वरूप में मांगने की परंपरा है। साथ ही इस पर्व में छोटे- बड़े के भाव को न रखते हुए लोग एक दूसरे के घर जाकर छेरछेरा मागते है और लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार दान प्रदान करते है, अर्जुनी के विभिन्न चौक के सेवादल समूहों द्वारा जिसमे, बजरंग चौक, गांधी चौक,मावली चौक व दुर्गा चौक के द्वारा नगर में मांदर के थाप पर सामूहिक छेरछेरा माँगा गया जिससे लोगो मे इस पर्व को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। वंही आसपास के रवान, भद्रापाली,टोनटार,नवागांव,खैरताल,मल्दी इत्यादि गाँवो में इस पर्व को धूमधाम से मनाया गया साथ ही आज के दिन अंचल के विभिन्न स्थानों पर मेला,मड़ई का आयोजन रखा जाता है जिसमे जमुनइया नाला के समीप जोगीदिप,ग्राम नवागांव के भूतेश्वर मेला का आयोजन साथ ही अर्जुनी में भी मड़ई का आयोजन किया गया जिसमें भारी संख्या में महिला पुरुष व बच्चे मेला मड़ई मनाते उत्साहित नजर आए।

प्रथम पृष्ठ का शेष...

धान पर ध्यान से रच...

समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों की संख्या, कुल पंजीकृत रकबा, बेचे गए धान के रकबे, धान बेचने वाले किसानों के प्रतिशत के साथ-साथ कुल उपार्जित धान की मात्रा में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2020-21 में राज्य गठन के 20 वर्षो में इस वर्ष छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक 92 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीद का नया कीर्तिमान बना है।

दो साल में खेती किसानी के रकबे व किसानों की संख्या में इजाफा

राज्य में बीते दो सालों में खेती-किसानी के रकबे और किसानों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी हुई है। राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों के चलते धान की खेती के पंजीयन का रकबा 27 लाख हेक्टेयर से अधिक और पंजीकृत किसानों की संख्या 21 लाख 52 हजार तक जा पहुंची है। यह भी अपने-आप में एक रिकार्ड है।

000

किसानों का उपवास...

दलों के नेताओं से कहा कि उनकी सरकार प्रदर्शनकारी किसानों की ओर से उठाए गए मुद्दों का बातचीत के जरिए समाधान निकालने का निरंतर प्रयास कर रही है। संसद में विभिन्न दलों के सदन के नेताओं की डिजिटल बैठक में मोदी ने यह भी कहा कि तीन कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था वो आज भी बरकरार है। सरकार ने यह सर्वदलीय बैठक बजट सत्र के दौरान संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और विधायी कार्यो के संदर्भ में चर्चा के मकसद से बुलाई थी। विभिन्न दलों के नेताओं ने इस बैठक में अलग अलग मुद्दे उठाए।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202101100400334

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री खोरबाहरा राम साहू आ. चमरुराम साहू निवासी बोरसी दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम बोरसी प.ह.न. 19/23 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 241/141 रकबा 0.021 हें/ 2292.05 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 18.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं FARZANA BANO W/O MOHAMMED SAJID MEMON निवासी - HNO.624, ASPATAL WARD GARIABAND (C.G.) यह शपथ करती हूं कि मैने अपना यह पुराना नाम को त्याग कर नया नाम FARJANA MEMON W/O MOHAMMAD SAJID MEMON रख ली। अत: आज से मुझे समस्त शासकीय, अर्धशासकीय व अन्य दस्तावेजों में मेरे नये नाम FARJANA MEMON W/O MOHAMMAD SAJID MEMON से ही जाना पहचाना जावे।

FARJANA MEMON
HNO.624,ASPATAL WARD
GARIABAND (C.G.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम, जोन क्र. 5 रायपुर
ईदगाह भाठा, पानी टंकी, रायपुर (छ.ग.)
ph.No. 0771-40455819 Email rmczone5@gmail.com

ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना

नामांतरण प्र.क्र. 345 दिनांक 19.01.21

वार्ड का नाम वार्ड- भक्तमाता कर्मा-67

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड-67 Flat Unil Nowing B 602 6वां तल आस्क पैराडाईज भाठागांव निगम अभिलेख में आस्क फ्री होल्ड रियल्टी प्रा. लिमि. द्वारा डायरेक्टर अनुराग नत्थानी पिता कृष्ण कुमार नत्थानी के नाम से दर्ज है जिसको श्रीमती सरोज बागला पति जगदीश प्रसाद बागला ने रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन कमिश्नर, जोन क्रमांक-5, नगर पालिक निगम, रायपुर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, जोन क्र. 5 रायपुर
ईदगाह भाठा, पानी टंकी, रायपुर (छ.ग.)
ph.No. 0771-40455819 Email rmczone5@gmail.com

ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना

नामांतरण प्र.क्र. 341 दिनांक 19.01.21

वार्ड का नाम वार्ड- भक्तमाता कर्मा-67

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड-67 आस्क ग्रेन्डिओस भूखंड क्र. 56 ख.नं. 221/1 का भाग 775 वर्गफीट जो कि निगम अभिलेख में आस्क रियल्टी एंड डेव्हलपर्स लिमि. द्वारा डायरेक्टर अनुराग नत्थानी पिता कृष्ण कुमार नत्थानी के नाम से दर्ज है जिसको श्रीमती बरखा अग्रवाल पति श्री तुषार अग्रवाल ने रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन कमिश्नर, जोन क्रमांक-5, नगर पालिक निगम, रायपुर

कार्यालय, नगर पालिक निगम (जोन-4), रायपुर (छ.ग.)
प्रेस क्लब के बाजू, पानी टंकी मोतीबाग चौक

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 352/2020-21

वार्ड का नाम- पं. भगवतीचरण शुक्ल- 57

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पं. भगवतीचरण शुक्ल-57 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ 57/फ्लैट नं. 203 एकता इन्क्लेव जो कि निगम अभिलेख में श्री वंदना पारेख पति श्री देवेन्द्र पारेख के नाम से दर्ज है, जिसको श्री विनोद कुमार सेठिया पिता स्व. श्री पुखराज सेठिया ने शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने। जोन कमिश्नर, जोन क्र.-04, नगर निगम, रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202101100400507

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री पंचराम साहू आ. स्व. हेमलाल साहू निवासी भाठापारा उतई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम डुमरडीह प.ह.न. 41 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 569/1 रकबा 0.020 हें/ 17744 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 25.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202101100400548

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती सुनीता सोनी पति संतोष सोनी निवासी नरनारायण मंदिर के पास बोरसी द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम बोरसी प.ह.न. 19/23 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 219/9 रकबा 0.0210 हें/ 2321 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 28.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202101100400546

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती सुनीता सोनी पति संतोष कुमार निवासी नरनारायण मंदिर के पास बोरसी द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 224/56 रकबा 0.022 हें/ 2379 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 28.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202101100400547

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती सविता देवी पति मदन प्रसाद निवासी एचएससीएल कालोनी भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 224/31 रकबा 0.020 हें/ 2225.85 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 28.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202101100400533

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री चन्द्रजीत सिंह यादव आ. लंकेश्वर सिंह यादव निवासी डुण्डेरा द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम डुण्डेरा प.ह.न. 41 अ तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 552 रकबा 0.020 हें/ 2000 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 28.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

बैंक ऑफ़ इंडिया / Bank of India
भिलाई शाखा, प्लॉट नं. 6, इंदिरा पैलेस, सिविक सेंटर भिलाई (छ.ग.) फोन- 0788-2264778/2264517
ईमेल- Bhilai.Raipur@bankofindia.co.in

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि — *सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के [नियम 8 (1)] के तहत*

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **बैंक ऑफ इंडिया, भिलाई शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) और प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में मांग सूचना जारी की तिथी तथा ऋणी को मांग सूचना में उल्लेखित धनराशि जिसका विवरण नीचे दिया गया है का भुगतान सूचना प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर करने को कहा गया था। ऋणी के यह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी/बंधककर्ता और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम के नियम 8 के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्तियों का आधिपत्य (कब्जा) नीचे वर्णित दिनांक को ग्रहण कर लिया है तथा जिसका विवरण अधोवर्णित है।

उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता (यों) का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिये उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के लिये आमंत्रित किया गया है।

ऋणी/बंधककर्ता को विशिष्ट रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से एतद्द्वारा सम्पत्ति के साथ व्यवहार (क्रय-विक्रय) नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और उक्त सम्पत्ति का **किसी भी प्रकार से क्रय-विक्रय बैंक ऑफ इंडिया के मूल ब्याज व अन्य व्यय के भार के अधीन होगा** जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र. सं.	उधारकर्ता / जमानतदार	संपत्ति का विवरण	मांग सूचना दिनांक / कब्जा सूचना दिनांक	देय राशि
1.	ऋणी- श्री लाल बहादुर वर्मा पिता- श्री के.एस. वर्मा निवास- मंजु सदन, इंदिरा पारा, वार्ड नं. 16, भिलाई-3, तहसील- पाटन, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	श्री लाल बहादुर वर्मा के नाम पर स्टेशन रोड, मौजा- खास दुर्ग, कचहरी वार्ड नं. 8, प.ह.नं. 16/24, खसरा नं. 1068/19 एवं नजुल शीट नं. 45-सी (प्लॉट नं. 92/1-2 एनपीएन दुर्ग सीमा के अंतर्गत) सिटी सेंटर में स्थित दूसरी मंजिल का ईक्यूएम। चौहद्दीः उत्तर की ओर- सिटी सेंटर मॉल का रास्ता, दक्षिण की ओर- अग्रवाल बाड़ा, पूर्व की ओर- शॉप नं. 33, पश्चिम की ओर- शॉप नं. 31.	26.12.2019 / कब्जा सूचना दिनांक 28.01.2021	₹ 16,66,330.93 + दिनांक 30.11.2019 से ब्याज एवं अन्य व्यय।
2.	ऋणी- 1. श्री हरपाल सिंह बेदी पिता- स्व. श्री भगत सिंह बेदी, 2. श्रीमती गरिन्दर कौर बेदी, पति- श्री हरपाल सिंह बेदी 3. श्री करमजीत सिंह बेदी पिता- श्री हरपाल सिंह बेदी। सभी का निवास- ब्लॉक नं. 58, प्लॉट नं. 11, नेहरु नगर (पूर्व), भिलाई (छ.ग.)	हरपाल सिंह बेदी के नाम पर ब्लॉक नं. 58, प्लॉट नं. 11, मोतीलाल नेहरु नगर पूर्व, नगर निगम भिलाई, वार्ड नं. 02, तहसील व जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़, क्षेत्रफल- 360 वर्गमीटर में स्थित आवासीय भवन व भूमि का ईक्यूएम। चौहद्दीः उत्तर की ओर- प्लॉट नं. 09, दक्षिण की ओर- प्लॉट नं. 12, पूर्व की ओर- सड़क, पश्चिम की ओर- प्लॉट नं. 06 व 07.	05.05.2020 / कब्जा सूचना दिनांक 28.01.2021	₹ 24,99,184.04 + दिनांक 22.06.2018 से ब्याज एवं अन्य व्यय।

दिनांकः 31.01.2021, स्थानः भिलाई (छ.ग.) — प्राधिकृत अधिकारी/बैंक ऑफ इंडिया

कार्यालय कार्यपालन अभियंता (सं./सं.) संभाग
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित, कवर्धा
(छ.रा.वि.मण्डल की उत्तरदायी कंपनी, छ.ग. शासन का एक उपक्रम)

क्रमांक- 054/4600/सामा./समाप/3573 — कवर्धा, 30/01/2021

आवश्यक-सूचना

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड कवर्धा संभाग के अंतर्गत समस्त सम्माननीय उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि विद्युत समस्या निवारण (बिल सुधार एवं अन्य) हेतु नीचे दर्शाए अनुसार सुबह 11.00 बजे से सायं 4.30 बजे तक शिविर आयोजित की गई है। कृपया शिविर में उपस्थित होकर समस्या बतावे एवं निराकरण करने में सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

क्र.	दिनांक/दिन	शिविर/मुख्यालय ग्राम का नाम	शिविर स्थल	वितरण केन्द्र का नाम
1	03/02/2021 बुधवार	बरपेलाटोला	उप स्वास्थ्य केन्द्र बरपेलाटोला	राजनांदगांव
		मरका	कार्यालय कनिष्ठ अभियंता मरका	मरका
		बाजारचारभाटा	33/11 केव्ही सबस्टेशन बाजारचारभाटा	रामपुर
		दशरंगपुर	ग्राम पंचायत भवन दशरंगपुर	इंदौरी
		सिंघनपुरी	ग्राम पंचायत भवन सिंघनपुरी	कवर्धा ग्रामीण
2	04/02/2021 गुरूवार	गुढ़ा	33/11 केव्ही सबस्टेशन गुढ़ा	मरका
		बानो	ग्राम पंचायत भवन बानो	रवेली
		डेहरी	ग्राम पंचायत भवन डेहरी	पिपरिया
		मोहगांव	33/11 केव्ही सबस्टेशन मोहगांव	बिडोरा
3	05/02/2021 शुक्रवार	इंदौरी	कार्यालय कनिष्ठ अभियंता इंदौरी	इंदौरी
		उड़िया	ग्राम पंचायत भवन उड़िया	स. लोहारा
		छिरहा	ग्राम पंचायत भवन छिरहा	कवर्धा ग्रामीण
		महाराणा प्रताप पार्क	महाराणा प्रताप पार्क बिलासपुर रोड कवर्धा	कवर्धा जोन
		खारा	ग्राम पंचायत भवन खारा	रेंगाखार
4	06/02/2021 शनिवार	राजानवागांव	कार्यालय कनिष्ठ अभियंता राजानवागांव	राजानवागांव
		सिल्हाटी	ग्राम पंचायत भवन सिल्हाटी	बिड़ोरा
		बिरेन्द्रनगर	33/11 केव्ही सबस्टेशन बिरेन्द्रनगर	रामपुर
5	07/02/2021 रविवार	रवेली	कार्यालय कनिष्ठ अभियंता रवेली	रवेली
6	08/02/2021 सोमवार	रामपुर	कार्यालय कनिष्ठ अभियंता रामपुर	रामपुर
		रेंगाखार	कार्यालय कनिष्ठ अभियंता रेंगाखार	रेंगाखार
		सोनबरसा	ग्राम पंचायत भवन सोनबरसा	रवेली
		महराजपुर	ग्राम पंचायत भवन महराजपुर	कवर्धा ग्रामीण
7	09/02/2021 मंगलवार	स.लोहारा टाउन	कार्यालय कनिष्ठ अभियंता स. लोहारा	स. लोहारा
		बम्हनी	ग्राम पंचायत भवन बम्हनी	इंदौरी
		बिरकोना	ग्राम पंचायत भवन बिरकोना	पिपरिया
8	10/02/2021 बुधवार	खैरबनाकला	ग्राम पंचायत भवन खैरबनाकला	राजानवागांव
		पिपरिया	कार्यालय कनिष्ठ अभियंता पिपरिया	पिपरिया
		चंदैनी	33/11 केव्ही सबस्टेशन चंदेनी	स. लोहारा
9	11/02/2021 गुरूवार	नवघटा	33/11 केव्ही सबस्टेशन सबराटोला	स. लोहारा
10	12/02/2021 शुक्रवार	सिंघनपुरी	ग्राम पंचायत भवन सिंघनपुरी	बिड़ोरा
		ठाकुर देव चौक	ठाकुर देव चौक रायपुर रोड कवर्धा	कवर्धा जोन
11	13/02/2021 शनिवार	बानो	ग्राम पंचायत भवन तेलीटोला	स. लोहारा
12	15/02/2021 सोमवार	बिड़ोरा	कार्यालय कनिष्ठ अभियंता बिड़ोरा	बिड़ोरा
		कैलाश नगर	सांस्कृतिक मंच कैलाश नगर कवर्धा	कवर्धा जोन

कृपया विद्युत की बचत कीजिए।

कार्यपालन अभियंता (सं./सं.) संभाग, छ.स्टे.पा.डि.कं. लिमि., कवर्धा

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक यशवंत धोटे* द्वारा बंसल स्कूल कैम्पस, अशोक विहार कॉलोनी, पण्डरी से मुद्रित कर ब्रिस्टल चौक छोटापारा रायपुर से प्रकाशित,
फोन व फैक्स : 0771-4035602, RNI NO.CHHHIN/2012/41806/ डाक पंजीयन क्रमांक सी.जी./आर.वाई.पी. डीएन/40/2019-2021

बैगा समाज को विकास की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार प्रतिबद्ध : मो. अकबर

मंत्री अकबर ने जिला मुख्यालय कवर्धा मे बैगा समाज के सामुदायिक भवन के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की, भोरमदेव मेला स्थल पर अयोजित बैगा समाज के सम्मेलन में शामिल हुए

नवप्रदेश संवाददाता

कवर्धा। प्रदेश के वन, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री मोहम्मद अकबर और पंडरिया विधायक श्रीमती आज शुक्रवार को एक दिवसीय प्रवास के दौरान भोरमदेव मेला स्थल पर अयोजित बैगा समाज के सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जिले में निवासरत् विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति समाज को विकास के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार प्रतिबद्ध है। इसी प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने बैगा समाज को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए अपनी पहल भी शुरू कर दी है।

उन्होंने कहा है कि प्रदेश का पहला कबीरधाम जिला है जहां सरकार की नई नीति के तहत जिले में निवासरत् बैगा समाज के शिक्षित सैकड़ों बैगा युवक-युवतियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार देते हुए शाला संगवारी के रूप में चयनित किया गया है। बैगा समाज के यह पढ़ी लिखी पीढ़ि खुद पढ़ लिखकर अब समाज को भी शिक्षा की अलख जगा रही है। मंत्री श्री अकबर ने बैगा समाज के विशेष मांग को पूरा करते हुए बैगा समाज के लिए जिला मुख्यालय कवर्धा में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 20 लाख रूपए देने की घोषणा की।

मंत्री श्री अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के वनांचल और जंगलों के बीच रहने वाले वनवासियो, आदिवासी और विशेष पिछड़ी जनजातियों के सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। वनांचल और जंगलों के बीच सदियों से निवास करने वाले लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अनेक आयोजनाएं संचालित कर रही है। इसके अलावा उन्हे आर्थिक रूप में मजबूत और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर देने के लिए वनोपज सग्रहण के लिए नीतियां बनाई गई है। वनोपज, महुआ का समर्थन मूल्य 17 रूपए से बढ़ाकर 30 रूपए प्रति किलो की दर निर्धारित किया गया है। तेन्दूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 25 सौ रूपए से बढ़ाकर सीधे 4 हजार रूपए कर दिया गया है। प्रदेश भर में 856 हाट-बाजारों में लघु वनोपज की खरीदी की नई व्यवस्था देने से प्रदेश के किसानों से लेकर वनो में निवारत लाखों वनवासियों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा तेंदूपत्ता संग्राहकों को समाजिक सुरक्षा का लाभ देने के लिए सहित शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक समाजिक सुरक्षा योजना बनाई गई है।

राज्य सरकार प्रदेश के सेवा और जतन की दिशा में काम कर रही

वन, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने कहा राज्य सरकार प्रदेश के सर्वाग्रीण विकास, लोगों के आर्थिक विकास, उत्थान और किसानों के जीवन को विकास के मुख्यधारा से जोड़ते हुए प्रदेश के सेवा और जतन की दिशा में काम कर रही है। उन्होने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लिए गए ठोस फैसले जैसे कृषि ऋण माफी, सिंचाई कर माफी, धान के समर्थन मुल्य 25 सौ रूपए प्रति क्विंटल दर,समर्थन मूल्य पर 52 प्रकार के लघु वनोपजों की खरीदने की व्यवस्था, महुआ का समर्थन मुल्य 17 रूपए से बढ़ाकर 30 रूपए समर्थन मूल्य करने, तेन्दूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 25 सौ रूपए से बढ़ाकर सीधे 4 हजार रूपए करने, प्रदेश भर में 856 हाट-बाजारों में लघु वनोपज की खरीदी की नई व्यवस्था देने से प्रदेश के किसानों से लेकर वनो में निवारत लाखों वनवासियों का आत्मविश्वास बढ़ा है। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री श्री बघेल के नेतृत्व में 15 वर्षों से लंबित 207 करोड़ रूपए का सिंचाई कर माफकिया है। उन्होने कहा कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य देश के अग्रणीय राज्यों में शामिल हो गया है। उन्होने कहा कि देश में धान का सर्वाधिक समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करने वाला पहला राज्य बन गया है। देश में महुआ का सर्वाधिक समर्थन मूल्य 30 रूपए प्रति किलो की दर वनोपज खरीदने वाला पहला राज्य बन गया है। उन्होने कहा कि सर्वभौम पीडीएस योजना के तहत सभी परिवारों को राशन देने में देश के पहला राज्य बन गया है।

■ न्यूज गैलरी

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अधिकारी-कर्मचारी द्वारा दी गई श्रद्धांजलि

गरियाबंद। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि एवं देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहूति देने वाले शहीदों की स्मृति में आज पूर्वान्ह 11 बजे जिला कार्यालय सहित अन्य कार्यालयों में अधिकारी-कर्मचारियों ने दो मिनट का मौनधारण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री जे.आर चैरसिया सहित वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

जिले को कुष्ठमुक्त बनाने की शपथ, कुष्ठ खोज अभियान के तहत प्रचार रथ रवाना

गरियाबंद। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा आज जिले को कुष्ठमुक्त बनाने की शपथ ली गई। अपर कलेक्टर श्री जे.आर चैरसिया ने जिला कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारियों को जिले को कुष्ठमुक्त बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ने की शपथ दिलाई। अपर कलेक्टर श्री जे.आर चैरसिया ने रैली को हरी झण्डी दिखाकर कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना किया। इस अवसर पर कुष्ठमुक्त हो चुके महिला श्रीमती सुलोचना बाई सिन्हा एवं डिगेन्द्र कुमार को शॉल एवं श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। जिले के अधिकारी-कर्मचारियों ने कुष्ठ रोगियों को खोजने, कुष्ठ प्रभावित व्यक्तियों के साथ कोई भेदभाव नहीं करने और न ही किसी दूसरे व्यक्ति को कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्ति के साथ भेदभाव करने देने तथा उन्हें समाज के मुख्यधारा में लाने के लिए अपना योगदान देने की शपथ लिया। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉ. जी.एल टण्डन कुष्ठ उन्मूलन प्रभारी एवं स्वास्थ्य विभाग के स्टाफमौजूद थे। इस अवसर पर कुष्ठ खोज अभियान के तहत प्रचार रथ 30 जनवरी से 13 फरवरी तक जिले के सभी विकासखंडों में भ्रमण करेगी।

उप पंजीयक कार्यालय के अंदर अपनी गाड़ियां रख रहे अधिकारी-कर्मचारी

■ जमीन खरीदी बिक्री करने वालों के बैठने के लिए बनाया गया भवन पर कर रहे पार्किंग के लिए उपयोग

नवप्रदेश संवाददाता

गुंडरदेही। ब्लॉक मुख्यालय के उप पंजीयक कार्यालय में गुंडरदेही ब्लॉक के राजस्व देने वाले जमीन खरीदी बिक्री करने वाले लोगों की वाहन धूप व बरसात में बाहर ही खड़ा रहता है और जो विभाग में पदस्थ कर्मचारी का गाड़ी अंदर 56 लाख के भवन में खड़ा रहता है।

56 लाख के भवन की हाल में आम जनता के सुख सुविधा बैठने के लिए बनाया गया है पर उप पंजीयक कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी अधिकारी की मनमानी इतना कि अपनी गाड़ी बरसात और धूप से बचने छप्पन लाख के रुपए की भवन का इस्तेमाल कर रहे हैं

यह कैसे अधिकारी कर्मचारी है जो खुद की गाड़ी को सुरक्षित रखने एवं राजस्व देने वाले आम जनता की गाड़ी को बाहर खड़े करवाते हैं। वहीं आम लोगों से अच्छे व्यवहार भी नहीं हो रहा इन अधिकारी कर्मचारी के कार्य व्यवहार से अवैध भू माफिआओं की संख्या बढ़ते क्रम में है।

यह पूरा मामला संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद के विधानसभा मुख्यालय का है उप पंजीयक कार्यालय में पदस्थ अधिकारी विजय कुमार मुल्ले इनकी पदस्थापना के बाद से लगातार गुंडरदेही में अवैध प्लाटिंग को बढ़ावा मिला है। अवैध , प्लाट के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई गुंडरदेही की चारो दिशा पर कृषि जमीन को आवासीय प्लॉट के रूप में उपयोग ले रहे हैं जबकि कई जगह पर बिना डायवर्शन के बिना कोई लाइसेंस की खरीदी बिक्री जोरों पर है जमीन रजिस्ट्री करने से पहले मौका देखने जाना पड़ता है पर रजिस्टर ऑफिस के जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी

> इस संबंध में रजिस्ट्रार का कहना है कर्मचारी अपना गाड़ी हाल में रख सकते है। आम लोगों के बैठने के लिए बनाया गया है खाली जगह पर उनका उपयोग किया जा रहा है फिलहाल अवैध प्लाटिंग नहीं हो रहा है।

इस तरह के सामने प्लाट को देखता है और कैसे रजिस्ट्री कर देता है उनके लिए बड़ा सवाल है कई सालों से पदस्थ विजय कुमार मुल्ले के रहते गुंडरदेही में धड़ल्ले से अवैध प्लाटिंग हो रहा है ।इन मामलों पर राजस्व विभाग की बड़ी भूमिका है ।और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती हैं। अवैध प्लाटिंग वालों को अनुविभागीय अधिकारी से नोटिस भी दिया जा चुका है।

अनर्गल मेसेज कर शादी तुड़वा देने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

खरोरा । थाना अन्तर्गत ग्राम मे युवती के मंगेतर को युवती के संबंध में अनर्गल मेसेज कर शादी तुड़वा देने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। थाना प्रभारी नितेश सिंह ठाकुर ने बताया कि थाना खरोरा अंतर्गत निवासी 22 वर्षीय युवती का विवाह तय हुआ था, सगाई से कुछ दिवस पूर्व युवती के मंगेतर को अज्ञात मोबाईल नम्बर से वाट्सअप मेसेज कर युवती के चरित्र संबंध में अनर्गल मेसेज अज्ञात व्यक्ति द्वारा करने के परिणामस्वरूप युवती की सगाई टूट गयी थी। युवती की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 32/21 धारा 509 (ख) भादवी तहत अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। मोबाइल नंबर के आधार पर मामले में संलिप्त दो आरोपियों 1. राजेन्द्र कुमार साहू पिता संतोष साहू आयु 22 वर्ष 2. रामेश्वर उर्फ पंकज पिता टम्मन लाल धीवर आयु 20 वर्ष दोनों निवासी ग्राम खौली को गिरफ्तार किया गया।

शराब की अवैध बिक्री करने वाला गिरफ्तार

खरोरा। थाना खरोरा अंतर्गत ग्राम कोसरंगी में अवैध शराब बिक्री कर रहे कोचिया हरीश धीवर पिता हीरालाल धीवर आयु 21 वर्ष को पकड़ा गया। आरोपी के पास से 21 पौव्वा अंग्रेजी शराब कीमती लगभग 3000/ रुपये 480/ रुपये नगदी बिक्री रकम बरामद किया गया। आरोपी के विरुध्द अपराध क्रमांक 41/21 धारा 34(a) आबकारी अधिनियम तहत अपराध पंजीबध्द कर कार्यवाही किया गया ।

बापू अतीत नहीं सदैव वर्तमान हैं उनके कार्य को भुलाया नहीं जा सकता: कुंवर सिंह निषाद

गुंडरदेह। गुण्डरदेही में एवं अहिंसा के पुजारी, देश को आजादी दिलाने वाले बापू महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर बाजार चौक नगर पंचायत अर्जुन्दा एवं विधायक कार्यालय अर्जुन्दा में माननीय संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन एवं विधायक गुंडरदेही कुंवर सिंह निषाद ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया संसदीय सचिव अपने उद्बोधन में कहां बापू अतीत नहीं सदैव वर्तमान हैं।क्योंकि आजादी के महानायक बापू के विचारों ने हिन्द को नई दिशा दिखाई है। विश्व में पहचान दिलाई है। नमन है उस महामानव को, जिन्होंने अंग्रेजों को हिंदुस्तानी होने का असली मतलब बताया।

कांग्रेस ने मनाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि

लवन। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लवन के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को नगर के गुरूघासीदास सांस्कृतिक भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। उपस्थित कांग्रेसियों ने उनकी छायाचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुरूदयाल यादव ने कहा कि महात्मा गांधी दुनिया के ऐसे पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने सत्य व

अहिंसा को हथियार बनाकर भारत को आजाद कराने में बड़ी भूमिका निभाई। गांधी देशवासियों को राष्ट्रीय एकता, अनुशासन और चरित्र निर्माण का संदेश दिया। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के बल पर ही हमारे देश को आजादी दिलाई तथा वह हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर डटे रहे। महात्मा गांधी ने देश को आजाद करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202101100400544

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती सोहद्रा चंद्राकर अन्य 01 पति रमेश चंद्राकर निवासी गिरधारी नगर दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उरला प.ह.न. 17/7 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 285/6 रकबा 0.006 हें/ 612 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 28.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202101100400541

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती इन्द्रा कुमारी साहू पति लक्ष्मण साहू निवासी कवर्धा द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उरला प.ह.न. 17/7 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 286/1 रकबा 0.1200 हें/ 630 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 28.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202101100400540

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती रेणु शर्मा पति गौरव कुमार निवासी सांई नगर कातुलबोर्ड द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उरला प.ह.न. 17/7 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 285/7 रकबा 0.007 हें/ 800 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 28.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202101100400511

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती ज्ञान्ती देवी शाह पति राजेन्द्र शाह निवासी गयानगर दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उरला प.ह.न. 17/7 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 286/23 रकबा 0.005 हें/ 579 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 25.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

मा.क्र.//अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री आकाश कुमार दानी पिता आनंद स्वरुप दानी साकिन मोहन नगर दुर्ग तह. व जिला दुर्ग के द्वारा अपने भूमिस्वामी हक की क्रयशुदा भूमि ग्राम उरला प.ह.न. 07 तहसील व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 194/28 रकबा 0.020 हें भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 07.01.2021 के आधार पर विक्रेता श्री संतोष शर्मा पिता बम्हदेव शर्मा के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज कराने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 05.02.2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 20.01.2021 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

मुहर

अतिरिक्त तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

मा.क्र.//अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक कृति सिंह पिता राजेश सिंह साकिन दीपक नगर दुर्ग तह. व जिला दुर्ग के द्वारा अपने भूमिस्वामी हक की क्रयशुदा भूमि ग्राम करहीडीह प.ह.न. 49 तहसील व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 91/1 रकबा 0.270 हें भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 18.01.2021 के आधार पर विक्रेता /आम मुख्तयार रौशनलाल साहू पिता बुलचुराम साहू के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज कराने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 05.02.2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 20.01.2021 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

मुहर

अतिरिक्त तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

मा.क्र.//अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक संगीता साहू वगै. पति रौशनलाल साहू साकिन शांति नगर दुर्ग तह. व जिला दुर्ग के द्वारा अपने भूमिस्वामी हक की क्रयशुदा भूमि ग्राम उरला प.ह.न. 07 तहसील व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 360/1 मे से रकबा 0.234 हें भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 20.01.2021 के आधार पर विक्रेता गोपाल चंद पिता चन्द्रकुमार के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज कराने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 05.02.2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 20.01.2021 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

मुहर

अतिरिक्त तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202101100400545

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती सोहद्रा चंद्राकर अन्य 01 पति रमेश चंद्राकर निवासी गिरधारी नगर दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उरला प.ह.न. 17/7 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 286/24 रकबा 0.005 हें/ 600 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 28.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

केनरा बैंक Canara Bank — भारत सरकार का उपक्रम — A Government of India Undertaking — सिंडिकेट Syndicate

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के अन्तर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

ई-नीलामी दिनांकः 16.02.2021

स्थायी संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी सूचना

आम जनता को साधारणतः एवं निम्न वर्णित अचल संपत्तियों के ऋणियों एवं जमानतदारों को विशेषतः सूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित संपत्तियाँ **केनरा बैंक (सुरक्षित लेनदार)** के पास बंधक है तथा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे वर्णित संपत्तियों का उसके सांकेतिक/भौतिक कब्जा ले लिया गया है । निम्न वर्णित संपत्तियों का विक्रय दिनांक **16.02.2021** को 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक **केनरा बैंक सुरक्षित लेनदार** के बकाया राशि को वसूल करने हेतु **"जैसा है जहां है, जो है जैसा है"** एवं **"जो कुछ भी है"** के आधार पर किया जा रहा है ।

ऋणी/गारंटर का नाम एवं पता	संपत्ति का विवरण एवं संपत्ति मालिक का नाम	मांग सूचना दिनांक कब्जा सूचना दिनांक बकाया राशि	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि बिड बढ़ाने की राशि	खाता का नाम खाता संख्या व आईएफएससी कोड
श्रीमती संध्या बेदलाल साव पति- बेदलाल साव, ग्राम- गीधामुण्डा, पझरापाली, पोस्ट ऑफिस- तोशगांव, तहसील- सरईपाली, जिला-महासमुंद, छत्तीसगढ़- 493554 ।	खसरा नं. 47/6, क्षेत्रफल- 0.05 हेक्टर में स्थित भूमि व भवन का ईएमटी, ग्राम- गीधामुण्डा, पझरापाली, पोस्ट ऑफिस- तोशगांव, तहसील- सरईपाली, जिला-महासमुंद, छत्तीसगढ़- 493558 । **चौहद्दीः उत्तर-** विद्याधर की भूमि, **दक्षिण-** शोभाराम की भूमि, **पूर्व-** बेदलाल की भूमि, **पश्चिम-** सड़क ।	19.11.2019 22.10.2020 ₹ 26,63,213.66	8,10,000/- 81,000/- 10,000/-	श्री सुशील कुमार (मो. 9111841175) सरईपाली शाखा 5423296000001 CNRB0005423
मेसर्स आर.एस. ट्रेडर्स, प्रोप. श्री मुरलीधर रिझवानी, पदमपुर मार्ग बंसुला, बसना, महासमुंद, छत्तीसगढ़-493554 ।	सर्वे नं. 517/16, क्षेत्रफल- 1151 वर्गफीट में स्थित भूमि का ईएमटी, ग्राम- तुलसी, तहसील- तिल्दा । **चौहद्दीः उत्तर-** सड़क, **दक्षिण-** साहू की भूमि, **पूर्व-** विक्रेता की भूमि, **पश्चिम-** दीपिका वर्मा की भूमि ।	20.11.2019 22.10.2020 ₹ 11,03,105.28	6,20,000/- 62,000/- 10,000/-	श्री सुरेश भक्ता (मो. 9425502145) सिमगा शाखा 5144296000001 CNRB0005144
मेसर्स इको केयर बायोटेक प्रोप. श्री अनूप कुजूर पिता- श्री जेम्स कुजूर, मार्फत- रामनारायण तिवारी जलाराम केटरिंग के पास, टिकरापारा, बिलासपुर (छ.ग.) 495001	मौजा- परसदा, ब्लॉक- बिल्हा, आर.एन.एम. बिलासपुर तहसील व जिला- बिलासपुर, छत्तीसगढ़ 495001, क्षेत्रफल- 1404 वर्गफीट (भू तल) प्लॉट नं. 69/बी (10,000 वर्गफिट), सेक्टर- बी, सिरगिट्टी, औद्योगिक क्षेत्र में स्थित भवन व भूमि का ईएमटी । **चौहद्दीः उत्तर-** प्लॉट नं. 68/एफ, **दक्षिण-** प्लॉट नं. 69/डी, **पूर्व-** सड़क, **पश्चिम-** प्लॉट नं. 69/ए ।	14.02.2020 23.10.2020 ₹ 6,91,876.66	21,00,000/- 2,10,000/- 10,000/-	श्री शरद कुमार (मो. 9425501910) बिलासपुर मुख्य शाखा 0191296000002 CNRB0000191
श्रीमती आरती गुप्ता पति- श्री जय प्रकाश गुप्ता, निवासी- ग्राम- कांतिप्रकाशपुर, अंबिकापुर (छ.ग.) **जमानतदार- 1. श्री जयप्रकाश गुप्ता, पिता- सुदर्शन साव** निवासी- ग्राम- कांतिप्रकाशपुर, अंबिकापुर (छ.ग.), **2. मनोज कुमार गुप्ता पिता- पृथ्वीनाथ साव**, निवासी- कार्मेल हॉस्टल के सामने, नमनाकला, अंबिकापुर (छ.ग.) 497001	अचल संपत्ति प्लॉट नं. खसरा नं. 320/1, क्षेत्रफल- (0.040 हेक्टेयर) ग्राम-कांतिप्रकाशपुर (दरिमा रोड के पास), अंबिकापुर, सरगुजा (छ.ग.) । **चौहद्दीः उत्तर-** प्लॉट क्र.175 (का भाग), **दक्षिण-** सड़क, **पूर्व-** राजकुमार गुप्ता का प्लॉट, **पश्चिम-** प्लॉट क्र.175 (का भाग) ।	12.12.2017 01.11.2018 ₹ 22,48,618.10	13,58,896/- 1,36,000/- 10,000/-	श्री सयद सुल्तान (मो. 9424204026) अंबिकापुर शाखा 4309296000001 CNRB0004309

ई-नीलामी की शर्तेंः- (1) ई-नीलामी **"जहां है जैसा है एवं जो कुछ भी है"** के आधार पर भार सहित (अगर कोई हो) की जायेगी । बैंक की जानकारी एवं सूचना के अनुसार संपत्ति पर कोई भार नहीं है । भार के विवरण हेतु अधोहस्तारकर्ता से धरोहर राशि जमा करने के पूर्व सम्पर्क करें । नीलामी बैंक द्वारा अधिकृत सेवा प्रदाता की वेबसाइट **www.bankeauctions.com** के माध्यम से आन लाईन ई-नीलामी की जावेगी । (2) आरक्षित मूल्य कम की निविदा/आफर स्वीकार नहीं किये जाएंगे । (3) संपत्ति का निरीक्षण सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक संबंधित शाखा प्रबंधक की पूर्व अनुमति से किया जा सकता है । (4) इच्छुक निविदाकर्ता धरोहर राशि **(EMD)** आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत का भुगतान डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से, जो कि प्राधिकृत अधिकारी **केनरा बैंक** के उपरोक्त संबंधित शाखा के पक्ष में देय हो । दिनांक 15.02.2021 को सायं 5.30 बजे तक जमा करें अथवा आन लाईन भुगतान आरटीजीएस/एनईएफटी/फण्ड ट्रांसफर के माध्यम से उपरोक्त वर्णित खातों में किया जा सकता है । (5) सफल खरीददार के पक्ष में विक्रय की पुष्टि सिक्योर्ड क्रेडिटर की पुष्टि के अधीन होगी । (6) ऑन लाईन नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक बोलीकर्ताओं के पास डिजिटल हस्ताक्षर होना आवश्यक है । डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करने हेतु सर्विस प्रदाता **मेसर्स सी-1 इंडिया प्रा.लि., हेल्प लाइन नं. 0120-4888888, श्री दानिश- 08305675610, 9630014580 ई-मेलः support@bankeauctions.com** पर जिस दिन धरोहर राशि जमा की हो उसी दिन डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने हेतु सर्विस प्रदाता से संपर्क करें। इच्छुक निविदाकर्ता से अनुरोध किया जाता है कि वे स्वयं को वेब पोर्टल **www.bankeauctions.com** में नाम पंजीकृत करवाए और लॉग इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करें । (7) ईएमडी जमा करने के पश्चात इच्छुक खरीददार को **दिनांक 15.02.2021** को **सायं 3.00** बजे या उससे पहले निम्नांकित दस्तावेज अनिवार्य रुप से जमा करना होगा । **अ.** ईएमडी राशि का डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर या यूटीआर नं. अगर भुगतान आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से किया गया हो तो । **ब.** पेन कार्ड की फोटोकापी/पहचान पत्र एवं पते का प्रमाण पत्र । **स.** इच्छुक खरीददार का नाम, सम्पर्क सूत्र एवं ई-मेल आईडी । **द.** इच्छुक खरीददार के बैंक खाते का पूरा ब्यौरा (नीलामी प्रकिया में असफल होने पर टोकन रकम की वापसी) । (8) बिक्री की पुष्टि होने पर सफल खरीददार बिक्री मूल्य का 25 प्रतिशत जिसमें ईएमडी के लिए पहले भुगतान की गई रकम भी शामिल है तुरंत जमा करेंगे एवं शेष 75 प्रतिशत राशि का 15 दिन के अंदर भुगतान करेंगे । निर्धारित समयावधि में शेष राशि जमा न करने की स्थिति में बोलीकर्ता द्वारा जमा राशि बिना किसी सूचना के जप्त कर ली जावेगी । (9) सफल बोलीकर्ता को स्टाम्प ड्यूटी से संबंधित सभी खर्च/फीस पंजीयन शुल्क ट्रांसफर शुल्क एवं अन्य तात्कालिक खर्चे इत्यादि वहन करने होंगे । (10) यहां संपत्ति की विक्रय राशि रु. 50 लाख या उससे ऊपर हो उस परिस्थिति में नीलामी खरीददार को विक्रय राशि का 1 प्रतिशत टी.डी.एस. का भुगतान करना होगा तथा टीडीएस सर्टिफिकेट की मूल प्रति बैंक में जमा करनी होगी । (11) अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त संबंधित शाखा के **प्राधिकृत अधिकारी श्री अनूप कुमार सिंह, मो. 9522559486** से सम्पर्क करें । अथवा सर्विस प्रदाता **मेसर्स सी-1 इंडिया प्रा.लि.**, उद्योग विहार, फेस-2, गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग नं. 301, गुड़गांव, हरियाणा **Pin: 122015, Support Landline no. + 91 -124-4302020 / 2021/2022/2023, Support Mobile Nos.: +91-7291981124 / 25 / 26, Mr. Danish - 08305675610, 9630014580, mpcg@c1india.com; helpline E-mail Id support@bankeauctions.com** पर संपर्क करें ।

सूचना- अंतिम मिनिट एवं सेकेण्ड में बिड करने से बचे । केनरा बैंक एवं सेवा प्रदाता किसी बंद/त्रुटि इंटरनेट बंद/लाईट जाने आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे । इन स्थितियों से बचने हेतु एवं आपातकालीन परिस्थितियों हेतु निविदाकर्ता से निवेदन है कि वे सभी आवश्यक प्रबंध/विकल्प अपने पास रखें । जैसे कि बैकअप पावर सप्लाई आदि जिससे वे ई-नीलामी में सफलता पूर्वक भाग ले सकें ।

विवाद की किसी भी स्थित में अंग्रेजी अखबार 'द टाईम्स ऑफ इंडिया' दिनांक 31.01.2021 रायपुर संस्करण में प्रकाशित विज्ञापन मान्य होगा ।

दिनांक : 31.01.2021 — प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं..
नोनी बाबू ल पढ़ाबो, समाज ल सुघ्घर बनाबो,
साक्षर भारत, सुन्दर भारत, स्वच्छ भारत
श्री एल.आर. कच्छप
जिला कार्यक्रम अधिकारी
श्री आदित्य शर्मा
जिला महिला विकास अधिकारी
एवं समस्त स्टाफ गण
महिला एवं बाल विकास विभाग जिला-बलौदाबाजार

26 जनवरी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं..
वन मंडल बलौदाबाजार जिला-बलौदाबाजार
उप वन मंडल कसडोल (ब.बा.)
वन परिक्षेत्र- बलौदाबाजार
वन परिक्षेत्र-सोनाखान (कसडोल)
श्री गोविंद सिंह
वन परिक्षेत्राधिकारी
श्री यू.एस. ठाकुर
उप वनमंडलाधिकारी
वृक्ष लगाओ, पुण्य कमाओ, वन हमारी धरोहर है,
इसकी सुरक्षा हम सब की जिम्मेदारी है वनों को आग से बचाएं।

26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं..
नारी पढ़ेगी, विकास गढ़ेगी, साक्षर भारत,
सुन्दर व स्वच्छ भारत, आत्मनिर्भर भारत
श्री सी. एस. ध्रुव
जिला शिक्षाधिकारी
श्री शर्मा जी, श्री मंडावी जी
श्री बी.आर. पटेल
सहायक संचालक
जिला शिक्षा विभाग, जिला-बलौदाबाजार

26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं..
नोनी बाबू ल पढ़ाबो, समाज ल साक्षर बनाबो,
आत्म निर्भर भारत, स्वच्छ-सुन्दर भारत बनाबो
श्री बी.के. राजपूत
सहायक आयुक्त, एवं समस्त स्टाफगण
आदिवासी विकास विभाग, जिला-बलौदाबाजार

26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं..
मेरा भारत महान
आत्मनिर्भर भारत, साक्षर भारत
सुश्री जया पटेल
परियोजना अधिकारी
एवं समस्त स्टाफ व सहायिका-कार्यकर्ता
परियोजना कार्यालय-महिला एवं बाल विकास विभाग लवन, जिला-ब.बा.

26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं..
सबको खाद्यान व्यवस्था हो, कोई भूखा न रहे,
सरकार के धान खरीदी में हमारी कोई कोताही व
कमी नही रही, एक कदम आगे
खाद्य विभाग
जिला- बलौदाबाजार
श्री चित्रकांत ध्रुव
जिला खाद्य अधिकारी
एवं समस्त स्टाफ
जिला विपणन विभाग
जिला- बलौदाबाजार
श्री केशव प्रसाद कर्ष
जिला विपणन अधिकारी
एवं समस्त स्टाफ
नागरिक आपूर्ति निगम
जिला- बलौदाबाजार
श्री संजय तिवारी
ना. आपूर्ति निगम अधिकारी
एवं समस्त स्टाफ

26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं..
नोनी-बाबू ल पढ़ाबो,
देश ल आत्मनिर्भर बनाबो
परियोजना कार्यालय-महिला एवं बाल विकास
विभाग कसडोल, जिला-ब.बा.
परियोजना कार्यालय-महिला एवं बाल विकास
विभाग सोनाखान (कसडोल), जिला-ब.बा.
राजेश क्षीरसागर
परियोजना अधिकारी
एवं समस्त स्टाफ, सहायिका-कार्यकर्ता

26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं..
लोक निर्माण विभाग
जिला- बलौदाबाजार
श्री टी.सी. वर्मा
कार्यपालन अभियंता
एवं समस्त स्टाफ
सब डिवीजन
जिला- बलौदाबाजार
श्री सी.एल. कुशवाहा
सहायक अभियंता
एवं समस्त स्टाफ
सर्किट हाउस व रेस्ट हाउस प्रभारी
जिला- बलौदाबाजार
विभाकर जोशी
(उपयंत्री) ब.बा.
एवं समस्त स्टाफ
सौजन्य : समस्त ठेकेदार लोक निर्माण विभाग जिला- बलौदाबाजार

26 जनवरी गणतंत्र दिवस की
बधाई एवं शुभकामनाएं..
पानी का मोल पहचानिये इसे व्यर्थ न बहने दे।
पानी है तो जीवन है, हम है, आप है।
श्री एच.एस. मरकाम
कार्यपालन अभियंता
एवं समस्त अधिकारी,कर्मचारीगण
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जिला- बलौदा बाजार

26 जनवरी गणतंत्र दिवस की
बधाई एवं शुभकामनाएं..
भूखा कोई न रहे, सब को खाद्यान मुहईया हो,
सहकारी संस्थायें आपकी सेवा में तत्पर
श्री उमेश गुप्ता
उप पंजीयक
श्री धनराज पुरबिया
नोडल अधिकारी
एवं समस्त स्टाफ, कर्मचारी गण
सहकारिता विभाग, जिला- बलौदाबाजार